नाबार्ड

वार्षिक रिपोर्ट 2024–25

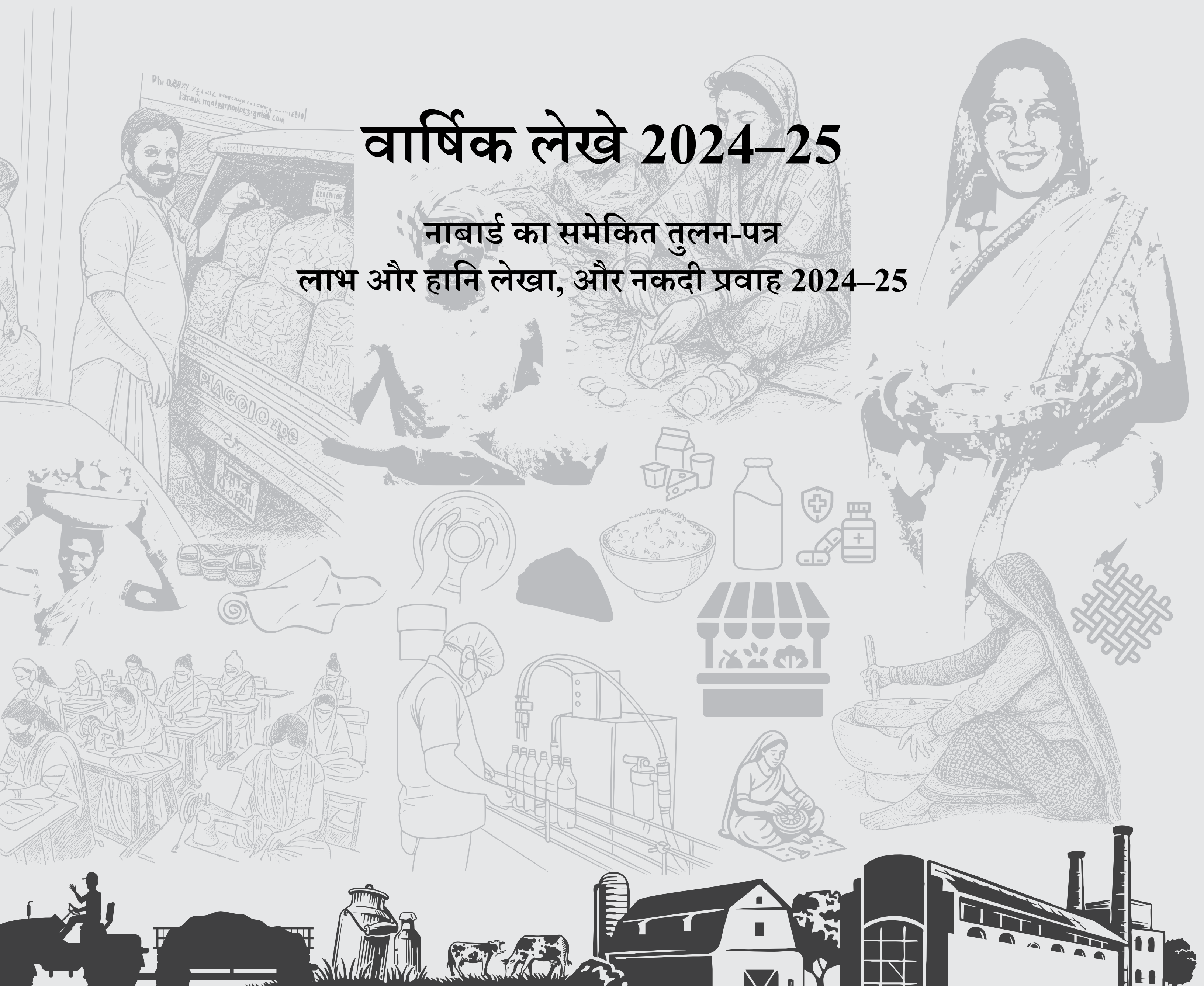

वार्षिक लेखे 2024–25

नाबार्ड का समेकित तुलन-पत्र

लाभ और हानि लेखा, और नकदी प्रवाह 2024–25

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
भारत के राष्ट्रपति

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

1. अभिमत

हमने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ('धारक बैंक' या 'नाबार्ड' या 'बैंक') और उसकी सहायक संस्थाओं (धारक बैंक और उसकी सहायक संस्थाओं को संयुक्त रूप से 'समूह' कहा गया है) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ और हानि लेखों और समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकरणमूलक सूचनाओं सहित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ शामिल हैं (जिसे बाद में 'समेकित वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित किया गया है).

हमारे मत में और हमें प्राप्त सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और सहायक संस्थाओं के पृथक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/ प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर उल्लिखित समेकित किए गए वित्तीय विवरण पूर्ण और निष्पक्ष वित्तीय विवरण हैं जिनमें सभी आवश्यक ब्यौरे शामिल किए गए हैं और इसे समुचित रूप से तैयार किया गया है ताकि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक (अतिरिक्त) सामान्य नियम, 1984 और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा अधिसूचित लेखा मानकों के अनुरूप तथा आम तौर पर भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत नोट्स के साथ पठित 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार बैंक के कामकाज की स्थिति और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके समेकित लाभों और समेकित नकदी प्रवाह की वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत की जा सके.

2. अभिमत का आधार

हमने समेकित वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है. इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का और अधिक विवरण हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा वाले खंड में लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों के तहत दिया गया है. इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें. आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसरण में अपनी नैतिक जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं. हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं वे समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षा अभिमत को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

3. लेखापरीक्षा की प्रमुख मदें

हमारे व्यावसायिक मत के अनुसार लेखापरीक्षा की प्रमुख मदें वे मदें हैं जो 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थीं. इन मदों पर समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में समग्र आधार पर विचार किया गया है और उन पर अपने अभिमत पर पहुँचने में हम प्रमुख लेखापरीक्षा मदों पर अलग अभिमत नहीं देते हैं. अपने व्यावसायिक मत में हमारी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए हमने निम्नलिखित को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मदों के रूप में लेने का निर्णय लिया है:

लेखापरीक्षा का प्रमुख मामला	*हमारी लेखापरीक्षा किस प्रकार इन लेखापरीक्षा के प्रमुख मामलों को संबोधित करती है*

1. अनर्जक अग्रिमों की पहचान, आय निर्धारण और अग्रिम का प्रावधान.
 	
अग्रिमों में बैंकों, वित्तीय संस्थानों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और एनबीएफसी को पुनर्वित्त ऋण; तथा राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को प्रत्यक्ष ऋण शामिल हैं.
 	
भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') ने समूह के लिए अग्रिमों के संबंध में 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन पर विवेकपूर्ण मानदंड' ('आईआरएसीपी मानदंड') निर्धारित किए हैं.
 	
अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान करने में उचित तंत्र की स्थापना शामिल होती है और समूह को विनियमों द्वारा निर्धारित मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों कारकों को लागू करते हुए प्रत्येक अग्रिम के लिए आवश्यक प्रावधान की राशि की पहचान करने और निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण स्तर का अनुमान लगाना आवश्यक होता है.
 	
एनपीए की पहचान और प्रावधानन के लिए महत्वपूर्ण निर्णयन और अनुमान निम्नलिखित पर महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुतियाँ उत्पन्न कर सकते हैं:
• आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की पहचान की पूर्णता और सामयिकता;
• ऋण जोखिम, नियत अवधि और वर्गीकरण, प्रतिभूति के प्राप्य मूल्य के आधार पर अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान का मापन;
• एनपीए पर अप्राप्त आय का उचित प्रत्यावर्तन.
 	
चूँकि अग्रिमों के वर्गीकरण, एनपीए की पहचान और अग्रिमों पर प्रावधान का सृजन (लागू आईआरएसीपी मानदंडों के तहत अतिरिक्त प्रावधानों सहित) और अग्रिमों पर आय के निर्धारण:
• के लिए समूह द्वारा उचित नियंत्रण तंत्र और आकलन के महत्वपूर्ण स्तर की आवश्यकता होती है;
• का समूह के समग्र वित्तीय विवरणों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है; अत: हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है.
 	
(समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 8 के साथ पठित अनुसूची 11 देखें)
	निष्पादित की गई प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया
	
	अनर्जक अग्रिमों की पहचान, आय निर्धारण और अग्रिमों पर प्रावधान में निम्नलिखित शामिल थेः
	• एनपीए की पहचान और प्रावधानन के लिए समूह की लेखांकन नीतियों को समझना और उन पर विचार करना तथा पुन:संरचित अग्रिमों पर किए गए अतिरिक्त प्रावधानों और आस्ति वर्गीकरण लाभ सहित आरबीआई (आईआरएसीपी मानदंडों) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन का आकलन करना.
	• भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आईआरएसीपी पर प्रवर्तमान दिशानिर्देशों के आधार पर क्षतिग्रस्त खातों की पहचान और प्रावधान के लिए प्रमुख नियंत्रणों (सिस्टम आधारित स्वचालित नियंत्रणों सहित) को समझना.
	• समूह द्वारा एनपीए की पहचान को कवर करने वाली मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं सहित अन्य प्रक्रियाएँ निष्पादित करना. इन प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे:
	  ◦ उन एप्लीकेशन प्रणालियों, जिनमें अग्रिमों को दर्ज किया गया, द्वारा जनरेट की गई अपवाद रिपोर्टों की जाँच पर विचार करना.
	  ◦ दबाव की पहचान करने के लिए आरबीआई के बड़े ऋणों पर सूचना के केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) में समूह और अन्य बैंकों द्वारा स्पेशल मेंशन खाता ("एसएमए") के रूप में रिपोर्ट किए गए खातों पर विचार करना.
	  ◦ मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर चयनित उधारकर्ताओं के खाता विवरण, आहरण क्षमता गणना, प्रतिभूति और अन्य संबंधित जानकारी की समीक्षा करना.
	  ◦ ऋण एवं जोखिम समिति की बैठकों के कार्यवृत्त पढ़ना तथा समूह के साथ पूछताछ करना, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या किसी ऋण खाते अथवा किसी उत्पाद में दबाव के संकेत या चूक की घटना तो नहीं घटित हुई है.
	  ◦ समूह की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसरण में संपन्न आंतरिक लेखापरीक्षा और संगामी लेखापरीक्षा में उभरे प्रमुख प्रेक्षणों पर विचार करना.
	  ◦ समूह के आरबीआई वित्तीय निरीक्षण की रिपोर्ट, प्रेक्षणों पर समूह की अनुपालना और वर्ष के दौरान आरबीआई के साथ अन्य संप्रेषणों विचार करना.
	  ◦ आरबीआई के मास्टर परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में नमूना आधार पर अग्रिमों की जाँच.
	  ◦ उधारकर्ताओं से खाता शेषों की स्वतंत्र पुष्टि की प्राप्त करना.
	  ◦ क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा करना तथा अग्रिमों से संबंधित दस्तावेजों एवं अन्य अभिलेखों की जाँच करना.
	• पहचान किए गए अनर्जक अग्रिमों के लिए, हमने, दबावग्रस्त सेक्टरों और खाते की महत्ता जैसे कारकों के आधार पर, नमूना आधार पर आस्ति वर्गीकरण की तिथियों, अप्राप्त ब्याज के रिवर्सल, उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य और आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार प्रावधानन की जाँच की. हमने प्रमुख इनपुट कारकों पर विचार करने के बाद ऐसे नमूनों पर एनपीए के लिए प्रावधान की पुन: गणना की और हमारे द्वारा मापे गए परिणामों की तुलना प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए परिणामों से की.

2. निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधानन. निवेशों में समूह द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों, बॉण्डों, डिबेंचरों, शेयरों, म्यूचुअल फंडों, उद्यम पूँजी निधियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल होते हैं. आरबीआई के परिपत्र और निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निवेशों के मूल्यांकन, निवेशों के वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, गैर-मान्यता प्राप्त आय और अनर्जक निवेशों के समक्ष प्रावधानन को शामिल किया गया है. उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना अपेक्षित है, जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे कि एफबीआईएल/	**निष्पादित की गई प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया** भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों/ निर्देशों के संदर्भ में निवेशों के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण/ प्रक्रियाओं में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों को पहचानना और निवेशों

एफआईएमएमडीए दरें, बीएसई/ एनएसई पर उद्धृत दरें, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि से डेटा/ सूचना एकत्र करना शामिल है.

हमने निवेशों के मूल्यांकन और एनपीआई की पहचान को एक प्रमुख लेखापरीक्षा के मामले के रूप में पहचाना है, क्योंकि कुछ निवेशों (बॉण्डों, डिबेंचरों और वीसीएफ) के मूल्यों के निर्धारण में लागू विनियामक दिशानिर्देशों और समूह की नीतियों के आधार पर प्रबंधन का आकलन शामिल होता है, एचटीएम बही हेतु क्षतिग्रस्तता आकलन प्रबंधन के मूल्यांकन पर आधारित होता है, विनियामक फोकस की गहनता होती है और समूह के वित्तीय परिणामों की समग्र महत्ता होती है.

(समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 7 के साथ पठित अनुसूची 10 देखें)

3. बहुसंख्य आईटी प्रणालियाँ:

बैंक, प्रतिदिन बहुसंख्य और सूचना प्रौद्योगिकी की अलग-अलग प्रणालियों (‘आईटी’) पर संसाधित किए जाने वाले लेनदेनों की उल्लेखनीय संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी पर निर्भर है. लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण इन आईटी प्रणालियों के इंटरफेस द्वारा उत्पन्न अनेक रिपोर्टों और उनमें अंतर्निहित स्वचालित नियंत्रणों पर व्यापक रूप से निर्भर करता है.

वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया से संबंध रखने वाली प्रमुख आईटी प्रणालियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- सीएलएमएएस - लेनदेन संसाधन, कार्यप्रवाह और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली
- टीएएलएमएस - राजकोषीय परिचालन
- एम्पॉवर एचआरएमएस - मानव संसाधन और वेतन
- एफएएमएस - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा व्ययों का संसाधन
- रिपोर्ट तैयार करने अथवा उन्हें जनरेट करने में उपर्युक्त प्रणालियों में से एक अथवा एकाधिक प्रणालियों का इंटरफेस/ इंटरप्ले.

आईटी के सामान्य नियंत्रण और एप्लिकेशन नियंत्रण यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं कि एप्लिकेशन और उसमें अंतर्निहित डेटा में परिवर्तन उचित तरीके से किए जाएं. एप्लिकेशन और डेटा में परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाली संभावित धोखाधड़ियों अथवा त्रुटियों के जोखिम को कम करने में इन समुचित नियंत्रणों का योगदान रहता है.

धारक बैंक का प्रबंधन निरंतर अनेक सुधारात्मक गतिविधियों के प्रयास करता रहता है और वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया में आईटी एप्लीकेशनों पर आने वाले जोखिम को कम करने के उद्देश्य से इसके कार्यान्वयन को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में है.

इनमें महत्वपूर्ण एप्लीकेशनों और आधारभूत संरचनाओं में निवारक और खोजी नियंत्रण का कार्यान्वयन शामिल रहता है.

इसकी व्यापक प्रकृति के कारण अपने आरंभिक जोखिम मूल्यांकन में, हमने प्रौद्योगिकीजन्य महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति के जोखिम को लेखापरीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए अपनी लेखापरीक्षा की योजना बनाई, इसलिए इसे लेखापरीक्षा का प्रमुख मामला माना गया है.

से संबंधित प्रावधानन/ मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों और मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को समझना शामिल था. विशेष रूप से:

- मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, अनर्जक निवेशों पर आय का प्रत्यावर्तन और निवेशों से संबंधित प्रावधानन/ मूल्यह्रास के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और समझा गया;
- इन निवेशों के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया गया;
- प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनः मूल्यांकन कर नमूना आधार पर सटीकता और आरबीआई के मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के अनुपालन का परीक्षण किया गया;
- आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के मेंटेन किए जाने वाले प्रावधान की स्वतंत्र रूप से पुन:गणना के लिए मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निष्पादित की गई. तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेशों से नमूने चुने और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और मेंटेन किए जाने वाले प्रावधान की पुनर्गणना की और यह देखा कि क्या आय का उपार्जन एनपीआई के उन चयनित नमूनों के लिए आरबीआई परिपत्र के अनुसार है.

निष्पादित की गई मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रिया

- 30 सितंबर 2024 को समाप्त छमाही के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु विश्वसनीय आधार माने जाने वाले एप्लिकेशनों, ऑपरेटिंग सिस्टमों और डेटाबेसों तक पहुँच के अधिकारों सहित आईटी प्रणालियों के सामान्य नियंत्रणों की सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई आईएस लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा की गई.
- धारक बैंक के आईटी नियंत्रण परिवेश और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा की दृष्टि से संगत माने गए परिवर्तनों को समझना; चयन के आधार पर ब्याज की गणना और परिपक्वता की तिथियों की पुनर्गणना की गई;
- चयन के आधार पर मास्टर्स अपडेशन, परिणामी रिपोर्टों के साथ इंटरफेस का पुनर्मूल्यांकन किया गया;
- चयन के आधार पर सीएलएमएएस, टीएएलएमएस, एम्पावर और अनेक वर्कफ़्लो जैसी अन्य आईटी प्रणालियों के साथ सीएलएमएएस के इंटरफेस की जाँच की गई;
- लेखांकन प्रणाली में गलत सिस्टम प्रविष्टियां दर्ज होने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त स्पष्टीकरण और चित्रण प्राप्त करने के लिए ‘मूल कारण विश्लेषण’ तथा ऐसी प्रविष्टियों के संबंध में पर्याप्त जाँच और संतुलन के अभाव के बारे में विस्तृत जाँच-पड़ताल की गई.
- मूल वित्तीय रिपोर्टिंग के मामलों के लिए प्रणालीजनित रिपोर्टों और लेखांकन प्रविष्टियों की हाथ से जाँच की गई (यानी कंप्यूटर सिस्टम का सत्यापन), ताकि लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई गलत प्रविष्टियों को सही किया जा सके.
- गलत सिस्टम प्रविष्टियों की संभावना से बचने, अधिक उपयोगी प्रणालीजनित रिपोर्टें प्राप्त करने तथा सिस्टम में अधिक सुविधाएँ/क्षेत्र शामिल करने के लिए, प्रबंधन ऐसे नए मॉड्यूल विकसित करने की प्रक्रिया में है, जिन्हें सीएलएमएएस/ सीबीएस में एकीकृत किया जा सके.

4. समेकित वित्तीय विवरणों से इतर सूचना और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

अन्य सूचनाओं को तैयार करने का दायित्व धारक बैंक के प्रबंधन और निदेशक मण्डल का है जिसमें निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और धारक बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल अन्य प्रकटन शामिल रहते हैं. उसमें समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (अन्य सूचना) शामिल नहीं होती है.

अन्य सूचना, हमें लेखापरीक्षकों की इस रिपोर्ट की तिथि के बाद उपलब्ध कराए जाने की आशा है. समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य सूचना शामिल नहीं है और उस पर हमने किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन/ निष्कर्ष व्यक्त नहीं किया है.

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारा दायित्व यह है कि जब हमें अन्य सूचना उपलब्ध होती है तो हम उस सूचना को पढ़ें और ऐसा करते समय यह देखें कि अन्य सूचना समेकित किए गए वित्तीय विवरणों से या लेखापरीक्षा के दौरान हमें प्राप्त हुई जानकारी से किसी महत्वपूर्ण मामले में असंगत तो नहीं है या उसमें अन्यथा कोई महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति तो नहीं दिखती. जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति है तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि हम एसए 720 ‘अन्य सूचना के संबंध में लेखापरीक्षक के दायित्व’ की अपेक्षा के अनुसार इस विषय को अभिशासन के प्रभारियों को संप्रेषित करें.

5. समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन का कार्यभार संभालने वालों के दायित्व

धारक बैंक के प्रबंधन और निदेशक मण्डल का दायित्व है कि वे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 और आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखा मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन के सिद्धांतों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार और प्रस्तुत करें जो समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह का वास्तविक और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हों. इन दायित्वों में समूह की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव; उचित लेखा नीतियों का चयन और उनका कार्यान्वयन तथा उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और आकलन शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, इन दायित्वों में लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन तथा रखरखाव करना शामिल है जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक हैं. ये वित्तीय विवरण ऐसे होने चाहिए जो वास्तविक और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हों और किसी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हों - फिर चाहे वह दुष्प्रस्तुति त्रुटिवश हो, या किसी धोखाधड़ी के कारण.

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय धारक बैंक और समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मण्डल निरंतर चलने वाली संस्थाओं के रूप में जारी रहने की समूह की क्षमता का आकलन करने, निरंतर चलने वाली संस्था से संबंधित मामलों में यथालागू मदों का प्रकटन करने और प्रबंधन द्वारा समूह को परिसमाप्त करने या परिचालनों को बंद करने की मंशा रखने या ऐसा करने के अलावा और कोई व्यावहारिक विकल्प न होने की स्थितियों को छोड़कर ‘निरंतर चलने वाली संस्था’ के आधार का प्रयोग करके लेखांकन करने के लिए जिम्मेदार हैं.

धारक बैंक और समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मण्डल उनकी वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए भी जिम्मेदार हैं.

6. समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य है कि इस बात का तर्काधारित आश्वासन प्राप्त करना कि समेकित किए गए वित्तीय विवरण समग्रतः धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाली किसी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हैं और एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो. तर्काधारित आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखामानकों के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा किसी विद्यमान महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का पता हमेशा लगा ही लेगी. दुष्प्रस्तुतियाँ धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें महत्वपूर्ण तब माना जाता है जब वे एकल रूप से या समग्रतः इन समेकित विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णयों को एक तर्कपूर्ण सीमा तक प्रभावित कर सकती हों. इस रिपोर्ट के अनुबंध 1 में लेखा मानकों के अनुरूप हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया का विवरण दिया गया है.

7. अन्य मदें

1. बैंक के 32 (बत्तीस) क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनमें प्रधान कार्यालय, 3 (तीन) प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं. बैंक की वित्तीय लेखांकन प्रणाली क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों के लिए केंद्रीकृत है. कुल क्षेत्रीय कार्यालयों में से, हमने प्रधान कार्यालय सहित 4 (चार) क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा किया है, जो 31 मार्च 2025 तक अग्रिमों का 35%, पीएसएल जमा का 100%, उधार का 100% और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अग्रिमों पर ब्याज आय का 20%, पीएसएल जमा पर ब्याज व्यय का 100% और उधार पर ब्याज व्यय का 100% कवर करता है. इन क्षेत्रीय कार्यालयों को बैंक के प्रबंधन के परामर्श से चुना गया है. लेखापरीक्षा के संचालन में हमने बैंक के शेष क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त विभिन्न सूचनाओं और विवरणियों पर भरोसा किया है.
2. हमने चार सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/ वित्तीय सूचना 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार ₹456.74 करोड़ की कुल आस्तियाँ और ₹401.20 करोड़ की निवल आस्तियाँ, ₹289.74 करोड़ का कुल राजस्व और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹4.85 करोड़ का निवल नकदी प्रवाह दर्शाती हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में अंतर-समूह लेनदेनों को समाप्त करने के लिए प्रभावी होने से पहले माना गया था. इन वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं की अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहायक सस्थाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है.

3. हमने तीन सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं का लेखा परीक्षण नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं में 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार कुल आस्तियाँ ₹9273.55 करोड़ और निवल आस्तियाँ ₹1560.58 करोड़, कुल राजस्व ₹1168.31 करोड़ और कुल निवल नकदी प्रवाह ₹42.00 करोड़ दर्शाया गया है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में अंतर-समूह लेनदेनों को समाप्त करने के लिए प्रभावी होने से पहले माना गया था. ये वित्तीय विवरण/ वित्तीय सूचना प्रबंधन द्वारा भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी एएस) के तहत तैयार की गई थी और समेकन के उद्देश्य से, धारक बैंक प्रबंधन ने भारतीय जीएएपी के तहत अलग वित्तीय विवरण तैयार किए हैं और वे अलेखापरीक्षित नहीं हैं. समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहाँ तक इन सहायक संस्थाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, केवल प्रबंधन द्वारा प्रमाणित ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं पर आधारित है. हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण/ वित्तीय सूचनाएँ समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं.
4. 1 अप्रैल 2024 का प्रारंभिक शेष, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिया गया है, जिसका लेखा-जोखा पूर्ववर्ती स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा किया गया था, जिन्होंने 24 मई 2024 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से एक अपरिवर्तित राय व्यक्त की है.

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी उपर्युक्त राय और अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी निम्नलिखित रिपोर्ट, किए गए कार्य और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपर्युक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं की गई है.

8. अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

हम रिपोर्ट करते हैं कि धारक बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन मानक (एएस) 21 - भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'समेकित वित्तीय विवरण' के अनुसार तैयार किए गए हैं.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण माँगे और प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे.

ख) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाता-बहियाँ बैंक द्वारा रखी गई हैं, जैसा कि उन बहियों की हमारी जांच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों से पता चलता है.

ग) इस रिपोर्ट में शामिल समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता, समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य से मेंटेन की गई प्रासंगिक लेखा बहियों के अनुरूप हैं.

घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं.

कृते सुरेश सुराणा एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण संख्या: 121750W/W100010

रमेश गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या : 102306
यूडीआईएन :25102306BMHKOD4595

स्थान: मुंबई
दिनांक: 27 मई 2025

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 1

(“समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के दायित्व” शीर्षक पैरा 6 में संदर्भित)

लेखा मानकों के अनुसार, लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय क्षमता का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक संदेहवाद बनाए रखते हैं. साथ ही:

- हम धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, उन जोखिमों के प्रतिसाद में लेखापरीक्षा कार्य पद्धतियों की रूपरेखा तैयार करते हैं और उनका कार्यान्वयन करते हैं और ऐसा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो अभिमत के लिए आधार प्रदान करने की दृष्टि से पर्याप्त और उपयुक्त हो. धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से बड़ा होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, गलत मंशा से उपेक्षा करना, गलत प्रस्तुति आदि शामिल हो सकते हैं या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना की गई हो सकती है.
- हम लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं. ऐसा विद्यमान परिस्थितियों के लिए उचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया जाता है न कि बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता पर अपना मत व्यक्त करने के लिए.
- प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाई जा रही लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों तथा संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं.
- हम प्रबंधन द्वारा लेखांकन के निरंतर चल रही संस्था आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष व्यक्त करते हैं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह देखते हैं कि क्या किसी ऐसी घटना या परिस्थिति से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है जो निरंतर चलने वाली संस्था के रूप में बैंक की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा करती हो. अगर हमारा निष्कर्ष यह होता है कि ऐसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकृष्ट करें, अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो अपने अभिमत को आशोधित करें. हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं. तथापि भविष्यगत घटनाएँ या परिस्थितियाँ बैंक के निरंतर चलने वाली संस्था नहीं बने रहने का कारण बन सकती हैं.
- हम प्रकटनों सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और उनमें निहित विषय-वस्तु का मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं को इस तरह अभिव्यक्त करते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति का उद्देश्य पूरा हो.
- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर संस्थाओं की वित्तीय जानकारी के बारे में पर्याप्त उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें. हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल धारक बैंक की वित्तीय जानकारी के लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं. समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार बने रहते हैं. हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बने रहते हैं. इस संबंध में हमारी ज़िम्मेदारियों को इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 'अन्य मामलों' के तहत आगे वर्णित किया गया है.

समेकित वित्तीय विवरणों में दुष्प्रस्तुतियों की गंभीरता वह मात्रा है जो एकल रूप से या समग्र रूप से, यह संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं. हम निम्नलिखित मामलों में मात्रात्मक महत्ता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचानी गई दुष्प्रस्तुति के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए.

हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को, अन्य बातों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के दायरे और समय की योजना तथा उल्लेखनीय लेखापरीक्षा निष्कर्ष संप्रेषित करते हैं जिनमें आंतरिक नियंत्रण में उन महत्वपूर्ण कमियों को शामिल किया जाता है जो हमारी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान में आती हैं.

हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को ऐसा अभिकथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने अपनी निष्पक्षता और हमारी निष्पक्षता को समुचित रूप से प्रभावित करने वाले माने जाने वाले सभी संबंधों तथा अन्य विषयों को उन्हें संप्रेषित करने के संबंध में, और जहाँ प्रयोजनीय हो वहाँ संबंधित रक्षोपायों के बारे में सभी संगत नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है.

हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को संप्रेषित मदों में से ऐसी मदों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि में समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हों और इस कारण वे प्रमुख लेखापरीक्षा मदें हों. हम इन मदों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णित करते हैं जब तक कि विधि या विनियम द्वारा उन मदों के बारे में सार्वजनिक प्रकटन को निषिद्ध न किया गया हो, या जब अत्यधिक विरलातिविरल परिस्थितियों में हम यह तय करें कि हमें अपनी रिपोर्ट में उस मद को संप्रेषित नहीं करना चाहिए क्योंकि संप्रेषित करने से सार्वजनिक हित में संभावित लाभ ऐसे सम्प्रेषण के प्रतिकूल परिणामों की अपेक्षा कम होंगे.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
समेकित तुलन-पत्र: 31 मार्च 2025 की स्थिति

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं	निधियाँ और देयताएँ	अनुसूची	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	(i) पूँजी		17,080.00	17,080.00
	(नाबार्ड अधिनियम,1981 की धारा 4 के अंतर्गत)			
2	प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियाँ	1	64,390.38	56,589.90
3	माइनॉरिटी इंटरेस्ट	1अ	339.92	307.70
4	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियाँ	2	16,110.00	16,106.00
5	उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियाँ	3	6,615.72	6,691.17
6	सरकारी योजनाएँ	4	723.61	1,506.36
7	जमाराशियाँ	5	2,75,991.45	3,01,958.08
8	बॉण्ड और डिबेंचर	6	3,27,366.25	2,86,150.10
9	उधार	7	2,51,434.55	2,01,238.41
10	चालू देयताएँ और प्रावधान	8	26,467.31	24,779.51
	कुल		**9,86,519.19**	**9,12,407.23**
	क्रॉस करेंसी स्वैपों द्वारा हेज किया गया विदेशी मुद्रा जोखिम		529.50	579.49

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
समेकित तुलन-पत्र: 31 मार्च 2025 की स्थिति

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	संपत्ति और आस्तियाँ	अनुसूची	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	नकद और बैंक शेष	9	46,026.32	37,839.75
2	निवेश	10	91,452.51	69,487.97
3	अग्रिम	11	8,40,446.45	7,96,339.15
4	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियाँ)	12	577.72	564.51
5	अन्य आस्तियाँ	13	8,016.19	8,175.85
	कुल		**9,86,519.19**	**9,12,407.23**
	क्रॉस करेंसी स्वैपों द्वारा हेज किया गया विदेशी मुद्रा जोखिम		529.50	579.49
	प्रतिबद्धता और आकस्मिक देयताएँ	17		
	समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और लेखा टिप्पणियाँ	18		

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं.

इसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते सुरेश सुराणा एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 121750W/W100010

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

रमेश गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.: 102306

विनोद चंद्रशेखरन
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग

मुंबई
दिनांक: 27 मई 2025

डॉ. अजय कुमार सूद
उप प्रबंध निदेशक

गोवर्धन सिंह रावत
गोवर्धन सिंह रावत

शाजी के. वी.
अध्यक्ष

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	आय	अनुसूची	2024-25	2023-24
1	ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज		51,232.52	43,927.10
2	निवेश परिचालनों/ जमाराशियों से आय			
(क)	निवेशों पर ब्याज		4,834.48	3,697.66
(ख)	निवेशों पर लाभांश		28.16	45.22
(ग)	निवेशों पर छूट		1,332.67	749.16
(घ)	निवेशों की बिक्री और पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/ हानि		1,489.57	871.53
3	अन्य प्राप्तियाँ		374.34	324.74
	कुल (अ)		**59,291.74**	**49,615.41**

क्रम सं.	व्यय	अनुसूची	2024-25	2023-24
1	ब्याज और वित्तीय प्रभार (अनुसूची-18 का नोट आ-4 देखें)	14	44,890.91	36,940.39
2	स्थापना और अन्य व्यय	15 अ	3,374.84	3,720.08
3	संवर्धनात्मक गतिविधियों पर व्यय	15 आ	139.69	136.02
4	प्रावधान	16	387.09	333.30
5	मूल्यह्रास और परिशोधन		62.70	52.69
	कुल (आ)		**48,855.23**	**41,182.48**
6	**कर पूर्व लाभ (अ-आ)**		**10,436.51**	**8,432.93**
7	निम्नलिखित के लिए प्रावधान			
	क) आय कर		2,535.19	2,082.24
	ख) आस्थगित कर		59.74	(20.55)
	(अनुसूची-18 का नोट आ-6 देखें)			
8	**कर पश्चात् लाभ**		**7,841.58**	**6,371.24**
9	माइनॉरिटी इंटरेस्ट		38.83	67.72
	विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ		**7,802.75**	**6,303.52**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और लेखों पर टिप्पणियाँ	18		

नोट: अन्य प्राप्तियों में स्टाफ ऋणों पर प्राप्त ब्याज, किराए से आय और अन्य विविध आय शामिल हैं.

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विनियोजन/आहरण	2024-25	2023-24
1	**वर्ष का लाभ - नीचे लाया गया**	7,802.75	6,303.52
2	जोड़ें: लाभ और हानि खाते को नामे किए गए व्यय के समक्ष विभिन्न निधियों से आहरण (अनुसूची 1 देखें)	243.50	178.32
3	**विनियोजन हेतु उपलब्ध कुल लाभ**	8,046.25	6,481.84
	घटाएँ: निम्नलिखित में अंतरित (अनुसूची 1 और 2 देखें)		
क)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(I)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधि	850.00	700.00
ख)	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IC के अंतर्गत प्रारक्षित निधि	38.43	-
ग)	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	1.00	1.00
घ)	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1.00	1.00
ङ)	सहकारिता विकास निधि	154.55	33.29
च)	अनुसंधान और विकास निधि	98.61	42.30
छ)	उत्पादक संगठन विकास निधि - नाबार्ड	0.29	3.95
ज)	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	3.18	3.09
झ)	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	34.29	28.27
ञ)	ग्राम्य विकास निधि	57.69	63.50
ट)	जलवायु परिवर्तन निधि	-	0.39
ठ)	उत्प्रेरक निधि	2.52	2.94
ड)	प्रौद्योगिकी सुविधा निधि	3.94	0.59
ढ)	नाबार्ड हरित प्रभाव निधि	1,000.00	-
ण)	नाबार्ड कार्बन निधि	300.00	-
त)	क्षेग्रा बैंक विकास निधि	100.00	-
थ)	प्रारक्षित निधि	5,400.75	5,601.52
	कुल	8,046.25	6,481.84

इसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते सुरेश सुराणा एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 121750W/W100010

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

रमेश गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.: 102306

विनोद चंद्रशेखरन
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग

मुंबई
दिनांक: 27 मई 2025

डॉ. अजय कुमार सूद
उप प्रबंध निदेशक

गोवर्धन सिंह रावत
गोवर्धन सिंह रावत

शाजी के. वी.
अध्यक्ष

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियाँ
समेकित अनुसूची 1 - प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2024 को प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	लाभ-हानि विनियोजन को अंतरित	31.03.2025 को इति शेष
1	प्रारक्षित निधि*	40,414.07	(54.33)	5,455.15	39.04	45,775.85
2	अनुसंधान और विकास निधि	54.87	(0.34)	98.61	48.00	105.14
3	प्रारक्षित पूँजी	74.81	-	-	-	74.81
4	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IC के अंतर्गत प्रारक्षित निधि	177.70	-	38.43	-	216.13
5	निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	1,885.70	-	-	-	1,885.70
6	सहकारिता विकास निधि	200.00	-	154.55	54.55	300.00
7	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(i) (viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष प्रारक्षित निधि	13,150.00	-	850.00	-	14,000.00
8	उत्पादक संगठन विकास निधि – नाबार्ड	300.00	-	0.29	0.29	300.00
9	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	50.00	-	3.18	3.18	50.00
10	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	60.00	-	34.29	34.29	60.00
11	ग्राम्य विकास निधि	110.00	-	57.69	57.69	110.00
12	जलवायु परिवर्तन निधि	20.00	-	-	-	20.00
13	उत्प्रेरक निधि	20.00	-	2.52	2.52	20.00
14	विकास कॉर्पस निधि	5.00	-	-	-	5.00
15	विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	17.75	-	-	-	17.75
16	प्रौद्योगिकी सुविधा निधि	50.00	-	3.94	3.94	50.00
17	नाबार्ड हरित प्रभाव निधि	-	-	1,000.00	-	1,000.00
18	नाबार्ड कार्बन निधि	-	-	300.00	-	300.00
19	क्षेग्रा बैंक विकास निधि	-	-	100.00	-	100.00
	कुल	**56,589.90**	**(54.67)**	**8,098.65**	**243.50**	**64,390.38**
	गत वर्ष	**50,288.37**	**(58.51)**	**6,538.37**	**178.33**	**56,589.90**

* *नोट:* 'प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियों' के लिए नाबार्ड अतिरिक्त (सामान्य) विनियम, 1984 में निर्धारित प्रारूप में लाभ और हानि खाता को एक उप-मद के रूप में रखा गया है. चूँकि बैंक में प्रारक्षित निधि में सभी प्रकार के विनियोजन के बाद शेष राशि को लाभ और हानि खाते में अंतरित करने की प्रथा है, इसलिए लाभ और हानि खाते में कोई राशि शेष नहीं रहती जिसके कारण ऊपर उसका अलग से प्रकटन नहीं किया गया है.

समेकित अनुसूची 1अ - माइनॉरिटी इंटरेस्ट

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2024 को प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान समायोजन	31.03.2025 को इति शेष
1	शेयर पूंजी	91.66	-	-	91.66
2	प्रारक्षित निधियाँ और अधिशेष	216.04	32.22	-	248.26
	कुल	307.70	32.22	-	339.92
	गत वर्ष	247.21	60.49	-	307.70

समेकित अनुसूची 2 - राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2024 को प्रारम्भिक शेष	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अंशदान	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरण	31.03.2025 को इति शेष
1	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	14,503.00	1.00	1.00	14,505.00
2	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1,603.00	1.00	1.00	1,605.00
	कुल	**16,106.00**	**2.00**	**2.00**	**16,110.00**
	गत वर्ष	**16,102.00**	**2.00**	**2.00**	**16,106.00**

समेकित अनुसूची 3 - उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	01-04-2024 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त/ समायोजित अनुदान	जमा ब्याज*	वर्ष के दौरान व्यय/संवितरण/ समायोजन	31-03-2025 को इति शेष
अ.	**अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदान**					
1	केएफडब्ल्यू एनबी यूपीएनआरएम-वित्तीय अंशदान	0.15	-	-	0.15	-
2	जीआईज़ेड यूपीएनआरएम तकनीकी सहयोग	0.03	-	-	-	0.03
3	जलवायु परिवर्तन - (एएफ़बी) - परियोजना तैयारी अनुदान	21.85	-	0.66	-	22.51
4	जीआईज़ेड मृदा परियोजना	1.41	-	-	1.41	-
5	केएफ़डब्ल्यू मृदा परियोजना	1.46	9.76	-	11.22	-
6	जीसीएफ़ परियोजना अनुदान	20.32	1.42	0.60	1.99	20.35
आ.	**अन्य निधियाँ**					
1	वाटरशेड विकास निधि	1,412.94	1.87	41.65	101.64	1,354.82
2	विभेदक ब्याज निधि - (विदेशी मुद्रा जोखिम)	223.43	-	-	-	223.43
3	विभेदक ब्याज निधि -टीएडब्ल्यूए	0.10	-	-	-	0.10
4	आदिवासी विकास निधि	5.77	-	-	-	5.77
5	जनजाति विकास निधि	1,173.23	2.90	34.14	123.68	1,086.59
6	वित्तीय समावेशन निधि *(i)	3,152.34	249.16	92.75	302.47	3,191.78
7	पीओडीएफ़-आईडी	259.98	-	7.40	43.73	223.65
8	राष्ट्रीय बैंक - स्विस विकास सहयोग परियोजना	67.78	0.82	-	-	68.60
9	आरपीएफ़ और आरआईएफ़ -कृषीतर क्षेत्र संवर्धन निधि	22.89	0.40	-	2.46	20.83
10	सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस इन कोऑपरेटिव्ज (सी-पेक)	3.50	-	0.27	-	3.77
11	एलटीआईएफ - ब्याज उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	188.73	17.39	5.66	-	211.78
12	जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि खाता	3.25	-	0.17	-	3.42
13	सोशल स्टॉक एक्स्चेंज के लिए क्षमता निर्माण निधि	9.40	0.50	-	0.53	9.37
14	जलवायु परिवर्तन निधि -आईडी *(ii)	122.61	61.78	3.66	19.13	168.92
	कुल	**6,691.17**	**346.00**	**186.96**	**608.41**	**6,615.72**
	गत वर्ष	**6,711.28**	**569.42**	**188.68**	**778.21**	**6,691.17**

* अनुसूची 18 का नोट आ-1 देखें

*(i) उक्त निधि में जमा किए गए ब्याज विभेदक पर आयकर के लिए प्रावधान शामिल है - ₹62.19 करोड़

*(ii) उक्त निधि में जमा किए गए ब्याज विभेदक पर आयकर के लिए प्रावधान शामिल है - ₹15.55 करोड़

समेकित अनुसूची 4 - सरकारी योजनाएँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2024 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	जमा ब्याज*	निधि से व्यय/ संवितरण	31.03.2025 को इति शेष
अ	**सरकार की सब्सिडी योजनाएँ**					
1	शीतगृह परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी – एनएचबी	0.89	-	-	-	0.89
2	शीतगृह के लिए पूंजी सब्सिडी - टीएम पूर्वोत्तर	0.08	-	-	-	0.08
3	लघु उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु ऋण सहबद्ध पूंजी सब्सिडी	0.90	0.11	-	-	1.01
4	फसल उत्पादन हेतु ऑनफार्म जल प्रबंधन	0.07	-	-	-	0.07
5	बिहार भूगर्भ जल सिंचाई योजना (बीआईजीडब्ल्यूआईएस)	78.98	-	-	-	78.98
6	पशुधन विकास कार्यक्रम - उत्तर प्रदेश	0.04	-	0.00*	-	0.04
7	पशुधन विकास कार्यक्रम – बिहार	0.10	-	0.01	-	0.11
8	राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना	1.80	-	-	-	1.80
9	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय सम विकास योजना	4.29	-	-	-	4.29
10	डेयरी और पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि	2.83	-	-	-	2.83
11	पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि	0.15	0.01	-	0.08	0.08
12	आईएसएएम- कृषि विपणन आधारभूत संरचना	451.47	171.81	-	611.69	11.59
13	राष्ट्रीय पशुधन मिशन - पीवीसीएफ़ ईडीईजी	81.57	0.25	-	81.52	0.30
14	पोल्ट्री एस्टेट की स्थापना हेतु केंद्र सरकार प्रायोजित योजना	0.08	-	-	-	0.08
15	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	0.09		0.01	-	0.10
16	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - बीएआईएफ़ - रायबरेली - उत्तर प्रदेश	0.02	-	0.00*	-	0.02
17	डेयरी उद्यमिता विकास योजना	11.64	1.70	-	12.09	1.25
18	सौर मिशन के लिए सीएसएस	0.03	0.00*	-	0.03	0.00*
19	सीएसएस - जेएनएनएसएम सोलर लाइटिंग खाता	2.76	-	-	2.76	-
20	सीएसएस - सोलर फोटोवोल्टिक वाटर पंपिंग	0.03	-	-	0.03	-
21	पूंजी सब्सिडी योजना - कृषि क्लीनिक कृषि व्यवसाय केंद्र	4.62	7.80	-	12.32	0.10
22	सीएसएस एमएनआरई लाइटिंग योजना 2016 खाता	0.11	1.04	-	-	1.15
23	कठोर चट्टानी क्षेत्र में कृत्रिम भूगर्भ जल पुनर्भरण	4.62	-	-	-	4.62
24	एफ़पीओ के निर्माण एवं संवर्धन पर सीएसएस	0.67	0.25	-	0.92	-
आ	**अन्य सरकारी योजनाएँ**					
1	कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआर) 2008	283.71	0.23	-	-	283.94

क्रम सं.	विवरण	01.04.2024 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	जमा ब्याज*	निधि से व्यय/ संवितरण	31.03.2025 को इति शेष
2	महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) विकास निधि	6.23	-	-	5.02	1.21
3	ब्याज सहायता (चीनी मीयादी ऋण)	5.19	600.64	0.88	606.53	0.18
4	एएमआई - कार्यशाला सहायता निधि	0.01	-	-	0.01	0.00*
5	कच्छ सूखा रोध परियोजना	0.22	-	-	-	0.22
6	दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) के पुनरुद्धार के लिए पैकेज	20.00	-	-	-	20.00
7	हथकरघा क्षेत्र का पुनरुद्धार, सुधार और पुनःसंरचना	4.11	-	-	0.02	4.09
8	ब्याज सहायता (एसएओ, एनआरएलएम, एनडब्ल्यूआर)	493.62	12,164.01	-	12,433.53	224.10
9	अरुणाचल कृषि स्टार्ट अप योजना	0.50	-	-	-	0.50
10	केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना- पैक्स का कंप्यूटरीकरण	44.93	44.06	1.12	72.63	17.48
11	एग्रीश्योर – भारत सरकार		62.50	-	-	62.50
	कुल	**1,506.36**	**13,054.41**	**2.02**	**13,839.18**	**723.61**
	गत वर्ष	**1,106.99**	**11,269.63**	**5.78**	**10,876.04**	**1,506.36**

अनुसूची 18 का आ - 1 देखें

* ₹50,000 से कम राशि को दर्शाता है

समेकित अनुसूची 5 - जमाराशियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	केन्द्र सरकार	-	-
2	राज्य सरकारें	-	-
3	अन्य	-	
	क) चाय/ रबड़/ कॉफी जमाराशियाँ	40.23	52.81
	ख) आरआईडीएफ के अंतर्गत जमाराशियाँ	1,94,482.88	1,86,684.79
	ग) अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि	32,079.11	50,517.76
	घ) अल्पावधि क्षेग्रा बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि	7,023.74	15,157.91
	ङ) भंडारागार आधारभूत संरचना निधि	2,870.00	3,890.00
	च) दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	38,945.49	45,174.81
	छ) खाद्य प्रसंस्करण निधि	550.00	480.00
	कुल	2,75,991.45	3,01,958.08

समेकित अनुसूची 6 - बॉण्ड और डिबेंचर

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	कर मुक्त बॉण्ड	5,000.00	5,000.00
2	गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बॉण्ड	1,86,736.30	1,49,580.15
3	पीएमएवाई-जी भारत सरकार के पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	48,809.60	48,809.60
4	बॉण्ड - एलटीआईएफ	38,160.25	38,160.25
5	एलटीआईएफ - भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	19,506.80	19,506.80
6	एसबीएम-जी- भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	12,298.20	12,298.20
7	सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ़) बॉन्ड	1,754.60	1,754.60
8	सोशल बॉण्ड	1,040.50	1,040.50
9	इन्फ्रा बॉण्ड	14,060.00	10,000.00
	कुल	**3,27,366.25**	**2,86,150.10**

समेकित अनुसूची 7 – उधार

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	केंद्र सरकार	-	-
2	भारतीय रिज़र्व बैंक	-	-
3	**अन्य:**		
	(अ) भारत में		
	(i) जमा प्रमाणपत्र	37,939.26	23,629.90
	(ii) वाणिज्यिक पत्र	57,386.19	52,112.64
	(iii) सीबीएलओ/ त्रिपक्षीय रेपो	51,707.99	28,270.07
	(iv) मीयादी मुद्रा उधार	10.36	2,508.21
	(v) बैंकों से मीयादी ऋण	1,03,869.94	94,163.26
	(vi) जेएनएन सोलर मिशन	2.81	2.81
	(आ) भारत से बाहर		
	(i) अंतरराष्ट्रीय एजेंसियाँ	518.00	551.52
	कुल	**2,51,434.55**	**2,01,238.41**

समेकित अनुसूची 8 - चालू देयताएँ और प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	उपचित ब्याज/ डिस्काउंट	12,201.02	10,186.88
2	विविध लेनदार	3,329.30	3,417.76
3	सब्सिडी प्रारक्षित निधि (सह-वित्तपोषण, शीतगृह, सीएसएएमआई)	7.38	28.50
4	सब्सिडी प्रारक्षित निधि	22.32	-
5	ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	23.78	12.17
6	पेंशन के लिए प्रावधान	434.85	126.64
7	साधारण छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान	396.92	381.90
8	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान	192.17	170.21
9	वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	667.17	318.17
	(अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-21 देखें)		
10	बॉण्डों पर ब्याज - जिनका दावा नहीं किया गया	4.36	2.99
11	परिपक्व बॉण्ड - जिनका दावा नहीं किया गया	9.83	13.15
12	बॉण्ड प्रीमियम	80.97	50.12
13	प्रतिबद्धता प्रभार - अंतरराष्ट्रीय उधार	0.24	-
14	प्रावधान और आकस्मिकताएँ		
	क) निवेश के मूल्य में ह्रास		
	(i) सरकारी प्रतिभूतियां		
	(iक) केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	-	1,033.42
	(iख) राजकोष बिल	-	-
	(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
	(iii) इक्विटी शेयर	-	-
	(iv) डिबेंचर और बॉण्ड	12.04	19.46
	(v) सहायक संस्थाएँ और संयुक्त उद्यम	-	-
	(vi) अन्य	9.63	-
	ख) परिपक्वता तक रखी गई प्रतिभूतियों पर प्रीमियम का परिशोधन	6.28	147.16
	ग) मानक आस्तियों हेतु	3,572.61	3,330.41
	घ) अनर्जक निवेश	300.59	358.54
	ड) काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर/ फ्लोटिंग प्रोविज़न	2,014.45	2,014.45
	च) अन्य आस्तियों और प्राप्तियों हेतु प्रावधान	125.40	57.01
	छ) आयकर हेतु प्रावधान [अग्रिम कर को घटाकर]	2,922.99	3,001.56
15	अन्य देयताएँ	133.01	109.01
	कुल	**26,467.31**	**24,779.51**

नोट: अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान को अनुसूची-11 में दर्शाए गए अग्रिमों के समक्ष समायोजित किया गया है.

समेकित अनुसूची 9 - नकदी और बैंक शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	हाथ में रोकड़	0.00*	0.00*
2	निम्नलिखित के पास शेष:		
	(अ) भारत में बैंकों में		
	(i) भारतीय रिज़र्व बैंक	6,568.72	3,561.58
	(ii) अन्य बैंक		
	क) चालू खाते में	4,547.80	3,834.52
	ख) बैंकों में जमा	33,910.50#	22,988.33
	(आ) भारत से बाहर स्थित बैंक	-	-
3	त्रिपक्षीय रेपो - ऋण वितरण	999.30	7,455.32
	कुल	**46,026.32**	**37,839.75**

नोट: # इसमें 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार बैंकों में ₹3,650.00 करोड़ की अल्पावधि जमाराशियाँ (3 माह या उससे कम की परिपक्वता वाली) शामिल हैं (31.03.2024 की स्थिति के अनुसार ₹1,300.00 करोड़)

* ₹50,000 से कम की राशि को दर्शाता है

समेकित अनुसूची 10 - निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	**सरकारी प्रतिभूतियाँ**		
	क) केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	53,061.47	34,498.94
	[अंकित मूल्य ₹5,21,78,15,80,000 (₹3,29,78,86,70,000)]		
	ख) ट्रेजरी बिल	11,297.96	18,806.69
	[अंकित मूल्य ₹1,14,99,23,50,000 (₹1,96,58,33,80,000)]		
2	**अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ**	5.40	5.40
3	**निम्नलिखित में इक्विटी शेयर:**		
(क)	कृषि वित्त निगम लि.	1.00	1.00
	[1,000 (1,000) - प्रत्येक ₹10,000 के इक्विटी शेयर]		
(ख)	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	966.28	966.27
	[5,31,92,203 (5,31,92,203) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]		
(ग)	भारतीय कृषि बीमा कं. लि..	60.00	60.00
	[6,00,00,000 (6,00,00,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]		
(घ)	मल्टी कमोडिटी एक्स्चेज ऑफ इंडिया लि.	0.30	0.30
	[3,77,758 (3,77,758) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]		
(ङ)	नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड	16.88	16.87
	[56,25,000 (56,25,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]		
(च)	सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड इक्विटी	9.75	9.75
	[55,000 (55,000) प्रत्येक ₹1000 के शेयर]		
(छ)	भारतीय कृषि कौशल परिषद	0.00*	0.00*
	[4,000 (4000) प्रत्येक ₹10 के शेयर]		

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
(ज)	नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड [इक्विटी]	1.50	1.50
	[15,00,000 (15,00,000) प्रत्येक ₹10 के शेयर]		
(झ)	नेशनल ई-रिपोजिटरी लि.	10.53	10.53
	[1,05,30,000 (1,05,30,000) प्रत्येक ₹10 के शेयर]		
(ञ)	डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क	40.00	40.00
	[40,00,000 (40,00,000) प्रत्येक ₹100 के शेयर]		
(ट)	ऑनलाइन पीएसबी लोन्स लिमिटेड	56.76	-
	[2,87,329 (निल) प्रत्येक ₹10 के शेयर]		
(ठ)	24x7 मनीवर्क्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	3.84	-
	[23,333 (निल) प्रत्येक ₹10 के शेयर]		
(ड)	अन्य इक्विटी निवेश	20.02	20.02
4	**डिबेंचर और बॉण्ड**		
(क)	रासकृग्रावि बैंकों के विशेष विकास डिबेंचर	65.19	134.06
	(अनुसूची 18 का नोट आ-10 देखें)		
(ख)	अपरिवर्तनीय डिबेंचर	852.99	858.37
5	**अन्य**		
(क)	म्यूचुअल फंड	6,604.32	5,293.40
(ख)	वाणिज्यिक पत्र	1,453.08	185.04
	[अंकित मूल्य ₹15,00,00,00,000 (₹200,00,00,000)]		
(ग)	जमाराशि प्रमाण-पत्र	16,100.04	7,900.10
	[अंकित मूल्य ₹1,64,50,00,00,000.00 (₹79,70,00,00,000)]		
(घ)	उद्यम पूंजी निधि/ एआईएफ़	575.61	439.07
(ङ)	ईओएल के लिए निर्धारित निवेश	10.94	39.26
(च)	आधारभूत संरचना निवेश न्यास (InvITs)	2.00	-
(छ)	प्रतिभूतिकरण में निवेश – पीटीसी	236.65	201.40
	कुल	**91,452.51**	**69,487.97**

* ₹50,000 से कम राशि को दर्शाता है

समेकित अनुसूची 11 - अग्रिम

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	**पुनर्वित्त ऋण**		
(क)	उत्पादन और विपणन ऋण	1,69,224.53	1,58,705.71
(ख)	**अन्य निवेश ऋण**		
(i)	मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋण	2,52,632.27	2,68,113.97
(ii)	जिमस बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त	27,767.64	20,504.10
2	**प्रत्यक्ष ऋण**		
(क)	ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के अंतर्गत ऋण	1,84,724.16	1,70,006.64
(ख)	भंडारागार आधारभूत संरचना निधि के अंतर्गत ऋण	2,581.85	3,385.86
(ग)	दीर्घावधि गैर-परियोजना ऋण	1,687.32	1,566.71
(घ)	नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता (नीडा) के अंतर्गत ऋण	40,879.33	32,403.74
(ङ)	उत्पादक संगठनों के अंतर्गत ऋण	0.14	0.52
(च)	फेडरेशनों को ऋण सुविधा [सीएफ़एफ़]	41,676.56	20,583.03
(छ)	खाद्य प्रसंस्करण निधि के अंतर्गत ऋण	386.48	431.38
(ज)	दीर्घावधि सिंचाई निधि के अंतर्गत ऋण	51,803.83	53,617.32
(झ)	प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण	48,819.03	48,819.03
(ञ)	स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण	12,298.20	12,298.20
(ट)	डेयरी आधारभूत संरचना विकास निधि (डीआईडीएफ़)	1,366.80	1,508.16
(ठ)	जीसीएफ़ के अंतर्गत ऋण	517.99	551.52
(ड)	सूक्ष्म सिंचाई निधि	2,871.83	3,036.89
(ढ)	मत्स्यपालन और जलचरपालन आधारभूत संरचना विकास निधि	1,141.38	801.49
(ण)	ग्रामीण आधारभूत संरचना सहायता योजना (आरआईएएस)	65.16	
(त)	**अन्य ऋण:**		
(i)	वाटरशेड विकास निधि कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण	1.66	3.69
(iI)	केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम के अंतर्गत ऋण	-	0.73
(iii)	कृषीतर क्षेत्र संवर्धन गतिविधि कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण	0.29	0.46
	कुल	**8,40,446.45**	**7,96,339.15**

नोट: ₹2,241.61 करोड़ की अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर अग्रिम (31.03.2024 की स्थिति के अनुसार ₹2,101.94 करोड़)

समेकित अनुसूची 12 – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियाँ)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	**भूमि: स्वामित्व वाली और पट्टाकृत**		
	(अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-8 देखें)		
	प्रारंभिक शेष	201.23	201.23
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	-	-
	उप-जोड़	201.23	201.23
	घटाएँ: बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	-	-
	इति शेष (लागत पर)	201.23	201.23
	घटाएँ: लीज प्रीमिया का परिशोधन	67.15	65.69
	बही मूल्य	134.08	135.54
2	**परिसर**		
	(अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-8 देखें)		
	प्रारंभिक शेष	663.08	656.11
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	9.26	6.97
	उप-जोड़	672.34	663.08
	घटाएँ: बेची/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	-	-
	इति शेष (लागत पर)	672.34	663.08
	घटाएँ: अब तक मूल्यह्रास	375.27	351.38
	बही मूल्य	297.07	311.70
3	**फर्नीचर और फिक्सचर्स**		
	प्रारंभिक शेष	73.37	71.66
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	2.55	1.90
	उप-जोड़	75.92	73.56
	घटाएँ: बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	0.19	0.19
	इति शेष (लागत पर)	75.73	73.37
	घटाएँ: अब तक मूल्यह्रास	68.30	65.15
	बही मूल्य	7.43	8.22
4	**कंप्यूटर इंस्टॉलेशन और कार्यालय उपकरण**		
	प्रारंभिक शेष	272.63	236.69
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	40.63	38.44
	उप-जोड़	313.26	275.13
	घटाएँ: बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	7.62	2.50
	इति शेष (लागत पर)	305.64	272.63
	घटाएँ: अब तक मूल्यह्रास	251.63	229.44
	बही मूल्य	54.01	43.19
5	**वाहन**		
	प्रारंभिक शेष	14.92	13.35
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	6.98	6.09
	उप-जोड़	21.90	19.44
	घटाएँ: बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	5.86	4.52
	इति शेष (लागत पर)	16.04	14.92
	घटाएँ: अब तक मूल्यह्रास	6.03	5.99
	बही मूल्य	10.01	8.93

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
6	जारी पूंजीगत कार्य [जिसमें परिसर, फर्नीचर और फिक्सचर तथा सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन शामिल है]	75.12	56.93
	कुल	**577.72**	**564.51**

नोट: अब तक के मूल्यह्रास में प्रारंभिक मूल्यह्रास, परिवर्धन एवं बिक्री पर मूल्यह्रास तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष का मूल्यह्रास शामिल है

समेकित अनुसूची 13 - अन्य आस्तियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	उपचित ब्याज	5,976.67	5,529.01
2	भूस्वामियों के पास जमाराशि	3.75	3.15
3	सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं के पास जमाराशि	54.24	54.16
4	स्टाफ को आवास ऋण	188.47	142.55
5	स्टाफ को अन्य अग्रिम	98.10	96.62
6	विविध अग्रिम	250.56	235.74
7	आस्थगित कर आस्तियाँ (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-6 देखें)	148.66	208.40
8	भारत सरकार / अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्य राशियाँ (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ – 2 और आ – 4 देखें)	1,193.46	1,486.25
9	प्राप्य डिस्काउंट	-	294.78
10	बॉण्ड के निर्गम पर डिस्काउंट	94.98	121.42
11	अन्य आस्तियां - इनपुट टैक्स क्रेडिट (जीएसटी)	7.30	3.77
	कुल	**8,016.19**	**8,175.85**

समेकित अनुसूची 14 - ब्याज और वित्तीय प्रभार

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2024-25	2023-24
1	**निम्नलिखित पर अदा किया गया ब्याज**		
क)	आरआईडीएफ़ के अंतर्गत जमाराशियाँ	6,752.89	6,042.03
ख)	अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि	1,975.77	2,169.93
ग)	अल्पावधि क्षेग्रा बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि	574.67	653.48
घ)	भंडारागार आधारभूत संरचना निधि	105.27	121.11
ङ)	दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	1,599.15	1,440.00
च)	खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए निधि	19.69	15.55
छ)	चाय/ कॉफी/ रबड़ जमाराशियाँ	2.35	2.82
ज)	मीयादी मुद्रा उधार	39.73	112.97
झ)	बॉण्ड (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-4 और आ-12 देखें)	21,322.39	16,367.23
ञ)	बैंकों से मियादी ऋण	6,168.07	5,290.32
ट)	अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से उधार	6.20	16.28
ठ)	अल्पावधि जमाराशियों पर उधार	(0.00)*	3.18
ड)	वाणिज्यिक पत्र पर डिस्काउंट	2,506.68	2,182.71
ढ)	जमा प्रमाण-पत्र पर डिस्काउंट	2,020.56	1,620.20
ण)	रेपो ब्याज व्यय	10.58	14.50
त)	निधियों पर ब्याज	186.82	187.09
थ)	एसएलएफ़ के अंतर्गत आरबीआई से उधार	-	-
द)	प्रतिबद्धता शुल्क - अंतर्राष्ट्रीय उधार	0.24	-
2	सीबीएलओ/ त्रि-पक्षीय रेपो पर डिस्काउंट	1,505.68	606.16
3	बॉण्डों और प्रतिभूतियों पर डिस्काउंट, ब्रोकरेज, कमीशन और निर्गम व्यय	76.21	70.71
4	स्वैप प्रभार	17.96	24.12
	कुल	**44,890.91**	**36,940.39**

* ₹50,000 से कम राशि को दर्शाता है

समेकित अनुसूची 15 अ - स्थापना और अन्य व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2024-25	2023-24
1	वेतन और भत्ते (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-21 देखें)	1,431.89	1,505.87
2	स्टाफ अधिवर्षिता निधियों में अंशदान/ उनके लिए प्रावधान	836.10	1,309.09
3	अन्य अनुलाभ और भत्ते	310.37	227.03
4	निदेशकों और समिति के सदस्यों की बैठकों से संबंधित यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते	0.42	0.35
5	निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क	1.04	1.03
6	किराया, दरें, बीमा, बिजली आदि	54.58	49.15
7	यात्रा व्यय	82.46	71.39
8	मुद्रण और लेखन सामग्री	9.22	8.53
9	डाक, टेलीग्राम और टेलीफोन	32.93	25.01
10	मरम्मत	21.47	19.32
11	लेखापरीक्षकों की फीस	0.56	0.44
12	विधिक प्रभार	5.41	4.19
13	विविध व्यय	460.46	384.16
14	विविध आस्तियों पर व्यय	12.93	9.20
15	अध्ययन और प्रशिक्षण पर व्यय	115.00	105.32
	कुल	**3,374.84**	**3,720.08**

समेकित अनुसूची 15 आ - संवर्धनात्मक गतिविधियों पर व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2024-25	2023-24
1	सहकारिता विकास निधि	54.55	33.29
2	उत्पादक संगठन विकास निधि - नाबार्ड	0.29	3.95
3	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	3.17	3.09
4	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि के अंतर्गत व्यय	21.37	28.27
5	जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय	-	0.39
6	ग्राम्य विकास निधि	57.69	63.50
7	उत्प्रेरक पूँजी निधि	2.52	2.94
8	प्रौद्योगिकी सुविधा निधि	0.10	0.59
	कुल	139.69	136.02

समेकित अनुसूची 16 - प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2024-25	2023-24
	निम्नलिखित के लिए प्रावधान:		
1	मानक आस्तियाँ	241.98	378.38
2	अनर्जक आस्तियाँ	153.61	(59.86)
3	निवेश खाते के मूल्य में ह्रास - इक्विटी	(8.50)	14.78
	कुल	**387.09**	**333.30**

समेकित अनुसूची 17 - प्रतिबद्धताएँ और आकस्मिक देयताएँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	निष्पादन के लिए शेष पूंजीगत संविदाओं के कारण प्रतिबद्धताएँ (अग्रिम को घटाकर)	68.12	11.85
	उप जोड़ "अ"	68.12	11.85
2	आकस्मिक देयताएँ		
(i)	बैंक गारंटी	21.94	32.35
(ii)	बैंक के समक्ष दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकारा नहीं गया है	6.00	-
(iii)	लंबित विधिक मामले (आयकर अपीलों सहित)	415.19	371.38
	उप जोड़ "आ"	443.13	403.73
	कुल (अ + आ)	**511.25**	**415.58**

अनुसूची 18

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और टिप्पणियाँ जो दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के समेकित लेखों का भाग हैं

अ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखे तैयार करने का आधार:

लेखे ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए गए हैं और इन्हें तैयार करने में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 और उसके विनियमों में निहित महत्वपूर्ण पहलुओं, इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी प्रयोज्य लेखा मानकों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंडों का पालन किया गया है. अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (धारक बैंक/ नाबार्ड) ने निरंतर लेखा नीतियों का पालन किया है और ये नीतियाँ पिछले वर्ष में प्रयुक्त की गई नीतियों के अनुरूप हैं.

2. समेकन का आधार:

समेकित वित्तीय विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक 21 - "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार तैयार किए गए हैं.

शेयरों के अधिग्रहण के समय बैंक की निवल आस्तियों के भाग के समक्ष, बैंक के निवेश की लागत से आधिक्य/ कमी को प्रारक्षित निधियों और अधिशेष में दर्शाया गया है.

इन समेकित वित्तीय विवरणों में नाबार्ड ("धारक बैंक" या "नाबार्ड") और उसकी सहायक संस्थाओं के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण शामिल हैं जो "समूह" के रूप में संदर्भित हैं. समान लेनदेनों तथा एक समान परिस्थितियों के लिए एक समेकित वित्तीय विवरण समान लेखांकन नीतियों का उपयोग कर तैयार किए गए हैं तथा किन्हीं विचलनों, यदि कोई हों, के लिए जहाँ तक संभव हो, समेकित वित्तीय विवरणों में आवश्यक समायोजन किया गया है तथा उन्हें उसी तरह प्रस्तुत किया गया है जिस तरह बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किया गया है. सहायक संस्थाओं से संबंधित आँकड़ों की प्रस्तुति को बैंक के मूल वित्तीय विवरणों के अनुसार सुव्यवस्थित करने के लिए उन्हें आवश्यकतानुसार पुन:समूहित/ पुनर्वर्गीकृत किया गया है.

समेकन में सहायक संस्थाओं के जिन वित्तीय विवरणों का उपयोग किया गया है वे उसी रिपोर्टिंग तिथि तक तैयार किए गए हैं जिस तिथि तक बैंक के विवरण तैयार किए गए हैं.

लेखांकन मानक - 21 'समेकित वित्तीय विवरण' के पैरा 6 की व्याख्या इस प्रकार है:

"मूल उद्यम और उसकी सहायक संस्थाओं के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में दर्शाए जाने वाले सभी नोटों को समेकित वित्तीय विवरणों के नोटों में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, नोट्स और अन्य व्याख्यात्मक सामग्री, जो उनका एक अभिन्न अंग हैं, के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाए:

क) समेकित वित्तीय विवरणों की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक टिप्पणियों को समेकित वित्तीय विवरणों में उनके अभिन्न भाग के रूप में शामिल किया जाए.

ख) केवल उन्हीं टिप्पणियों का प्रकटन किया जाए जिनमें ऐसी मदें शामिल हैं जो महत्वपूर्ण हैं. इस उद्देश्य के लिए महत्ता का आकलन समेकित वित्तीय विवरणों में निहित जानकारी के संदर्भ में किया जाता है. इसे देखते हुए, यह संभव है कि कुछ ऐसी टिप्पणियाँ हों, जो मूल संस्था या सहायक संस्था के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई हों, किंतु समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में महत्ता का आकलन किए जाने पर उन सूचनाओं को समेकित वित्तीय विवरणों में दिए जाने की आवश्यकता न हो.

ग) सहायक संस्थाओं तथा/ अथवा मूल संस्था से संबंधित अतिरिक्त सांविधिक सूचनाएँ, जो उनके अलग वित्तीय विवरणों में दी गई हों परंतु जिससे समेकित वित्तीय विवरणों की सही और निष्पक्ष स्थिति पर कोई असर न पड़ता है, को समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाना आवश्यक नहीं है."

वित्तीय विवरणों का समेकन एएस - 21 'समेकित वित्तीय विवरण' में उपर्युक्त दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया गया है.

बैंक और इसकी सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों को पंक्ति दर पंक्ति जोड़ा गया है जिसमें अंत:समूह शेषों और अंत:समूह लेनदेनों को पूरी तरह से हटाने के बाद आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय जैसी मदों के बही मूल्यों को जोड़ दिया गया है. अंत:समूह लेनदेनों के परिणामस्वरूप अप्राप्त लाभों अथवा हानियों को हटा दिया गया है तथा अंत:समूह लेनदेनों के परिणामस्वरूप हुई अप्राप्त हानियों को भी हटा दिया गया है, जब तक कि लागत न वसूल की जा सके.

समेकित सहायक संस्थाओं के निवल लाभ में माइनॉरिटी इंटरेस्ट के हिस्से की पहचान की गई है और शेयरधारकों से संबंधित निवल आय की गणना करने के लिए कर-पश्चात् लाभ के समक्ष इसे समायेजित किया गया है. समेकित सहायक संस्थाओं की हानियों में माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा, यदि इक्विटी में माइनॉरिटी इंटरेस्ट के हिस्से से अधिक होता है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट से संबंधित आधिक्य की राशि और आगे हुई हानियों को समूह के इंटरेस्ट के समक्ष समायोजित किया गया है.

समेकित सहायक संस्थाओं की निवल आस्तियों में माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा समेकित तुलन-पत्र में कंपनी के शेयरधारकों की देयताओं और इक्विटी से अलग प्रस्तुत किया गया है.

3. बैंक के खातों के समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित सहायक संस्थाएँ शामिल हैं:

सहायक संस्था का नाम	*फ्रेमवर्क*	*समेकन हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण*	*निगमन का देश*	*स्वामित्व का अनुपात (%)*	
				2023-24	*2022-23*
नैबकिसान फाइनेंस लि. (नैबकिसान)	आईएनडी एएस	नहीं*	भारत	87.77	87.77
नैबसमृद्धि फाइनेंस लि. (नैबसमृद्धि)	आईएनडी एएस	नहीं*	भारत	91.09	91.09
नैबफिन्स लिमिटेड (नैबफिन्स)	आईएनडी एएस	नहीं*	भारत	63.10	63.10
नाबार्ड कन्सल्टेंसी सर्विसेज प्रा.लि. (नैबकॉन्स)	आईजीएएपी	हाँ	भारत	100	100
नैबवेंचर्स लि. (नैबवेंचर्स)	आईजीएएपी	हाँ	भारत	100	100
नैबफ़ाउंडेशन	आईजीएएपी	हाँ	भारत	100	100
नैबसंरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड (नैबसंरक्षण)	आईजीएएपी	हाँ	भारत	100	100

* आईएनडी एएस के तहत तैयार किए गए वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण संबंधित सहायक संस्थाओं के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है. तथापि, वित्तीय विवरणों के समेकन के उद्देश्य से आईएनडी एएस नाबार्ड पर लागू नहीं होता है. इसलिए हमने आईजीएएपी वित्तीय विवरणों पर विचार किया है जो संबंधित सहायक संस्थाओं के प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए हैं और लेखापरीक्षित नहीं है.

नाबार्ड, एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड (एआईसीआईएल) के 30% शेयर धारित करता है. एएस 23 - 'समेकित वित्तीय विवरणों में संबद्ध इकाइयों में निवेशों के लिए लेखांकन' के अनुसार, यदि निवेशक, निवेशिती में 20% अथवा उससे अधिक की वोटिंग शक्ति रखता है, तो वहाँ सिग्निफिकेन्ट इन्फ्लुएन्स माना जाता है. तथापि, नाबार्ड का प्रतिनिधित्व निदेशक मंडल में एक 'गैर-कार्यपालक निदेशक' के रूप में है. अतः नाबार्ड एआईसीआईएल पर सिग्निफिकेन्ट इन्फ्लुएन्स का प्रयोग नहीं करता है जिसके परिणामस्वरूप एआईसीआईएल के वित्तीय विवरण समेकित नहीं किए गए हैं.

4. अनुमानों का उपयोग:

सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने के लिए यह अपेक्षित होता है कि प्रबंधन ऐसी बातें मान कर चले और ऐसे अनुमान लगाए जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई आस्तियों और देयताओं की राशि तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान परिचालनों के परिणामों की स्थिति को प्रभावित करते हैं. यद्यपि, ये अनुमान प्रबंधन तंत्र की सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित होते हैं, तथापि वास्तविक निष्कर्ष इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं. इन भिन्नताओं का निर्धारण उस वर्ष में दर्शाया जाता है जब ये परिणाम प्राप्त होते हैं.

5. राजस्व निर्धारण:

5.1 नकदी के आधार पर लेखाबद्ध निम्नलिखित मदों को छोड़ कर, आय और व्यय को उपचय के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है:

i) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार पहचानी गई अनर्जक आस्तियों पर ब्याज.

ii) ऋण देयों की प्राप्ति में विलंब या ऋण की शर्तों का अनुपालन न किए जाने पर प्रभारित दंडात्मक ब्याज के रूप में आय.

iii) विभिन्न निधियों से दिए गए ऋणों पर सेवा प्रभार.

iv) किसी एक व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक लेखा इकाई में ₹10,000 तक के व्यय.

5.2 जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की डिस्काउंट राशि को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की अवधि के लिए परिशोधित किया गया. लागू स्टाम्प शुल्क सहित, बॉण्डों के निर्गम से संबंधित व्ययों को बॉण्डों के निर्गम वर्ष का व्यय माना गया है.

5.3 लाभांश प्राप्त होने का अधिकार स्थापित हो जाने पर निवेश पर लाभांश को लेखे में लिया गया है.

5.4 i) उद्यम पूंजी निधि से प्राप्त आय की गणना वसूली के आधार पर की गई है.

ii) जिस सब्सिडी के लिए नाबार्ड पास-थ्रू एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, उस सब्सिडी और उस पर सेवा शुल्क का लेखांकन संबंधित योजनाओं के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के अधीन अदायगी के आधार पर किया गया है.

5.5 अनर्जक आस्तियों की वसूली निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की गई है:

i) दंडात्मक ब्याज

ii) लागत और प्रभार

iii) अतिदेय ब्याज और ब्याज

iv) मूलधन

5.6 समझौता और समाधान/ निपटान के मामले में, वसूली को संबंधित समझौता/ समाधान निपटान की शर्तों के अनुसार विनियोजित किया गया है.

5.7 जिन खातों के लिए वाद दायर किए गए हैं/ डिक्री प्राप्त हुई है उनके संबंध में, वसूली को निम्नानुसार विनियोजित किया गया:

i. संबन्धित न्यायालय के निर्देशों के अनुसार.

ii. न्यायालय से विशिष्ट निर्देशों के न होने पर, उक्त बिन्दु 5.5 के अनुसार.

5.8 **नैबकॉन्स - सेवाओं से आय**

5.8.1 सौंपे गए कार्यों से आय: कंपनी के लिए सौंपे गए कार्यों से होने वाली आय, आय का मुख्य स्रोत है. सौंपे गए कार्य की समाप्ति पर कार्य विशेष से संबंधित आय और तदनुरूपी व्यय को गणना में लिया गया है. सौंपे गए कार्य को निम्नलिखित स्थितियों में पूर्ण माना जाता है

- डीपीआर तैयार करने के मामले में, पार्टी को ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी करने के बाद - शीघ्रातिशीघ्र.
- जिन कार्यों के निष्पादन की अवधि विस्तृत है, उनके मामलों में महत्वपूर्ण पड़ावों और कार्य पूर्ण कर सौंपे जाने, निष्पादन की स्थिति और पूर्णता की अवधि के आधार पर आय-निर्धारण किया गया है.
- यदि सौंपा गया कार्य एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए समयबद्ध संविदा के रूप में हो, तो ऐसे मामले में पूर्ण हो चुकी अवधि के अनुपात में आय निर्धारण किया गया है.

5.8.2 कंपनी की नीति के अनुसार जिन कार्यों को जारी रखे जाने की संभावना नहीं है उन्हें "जैसा है जहाँ है" आधार पर वहीं बंद कर दिया गया है और उनसे प्राप्त राशि को आय के रूप में माना गया है.

5.8.3 वर्तमान में चल रहे जिन कार्यों के लिए कंपनी की उपर्युक्त नीति के अनुसार आय बुकिंग के मानदंडों का पालन नहीं किया गया है, महत्वपूर्ण पड़ावों को प्राप्त नहीं किया गया है, उनके लिए प्रगामी आधार पर प्राप्त अग्रिम राशि को ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के रूप में अलग से दर्शाया गया है और उसे चालू देयता के रूप में माना गया है. इस प्रकार के कार्यों पर हुए व्यय को चालू आस्तियों के रूप में दर्शाया गया है और कंपनी की नीति के अनुसार, इसे उस वर्ष के खर्च के रूप में दिखाया जाएगा जिसमें संबंधित आय को लेखाबद्ध किया गया है.

5.8.4 नैबकॉन्स को ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार द्वारा डीडीयू-जीकेवाई योजना के कार्यान्वयन के संबंध में केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (सीटीएसए) के रूप में नियुक्त किया गया है. विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार, नैबकॉन्स आबंटित राज्यों के संबंध में कुल परियोजना लागत की 1.5% (जीएसटी सहित) की दर से अनुप्रवर्तन लागत प्राप्त करने का हकदार है, जिसे एसआरएलएम/ एसएसडीएम को जारी प्रत्येक किश्त के जारी/ मंजूर किए जाने के समय आय के रूप में लेखाबद्ध किया गया है.

उपर्युक्त के अतिरिक्त, नैबकॉन्स को कई राज्यों द्वारा भी तकनीकी सहायता एजेंसी (टीएसए) के रूप में नियुक्त किया गया है, जिससे प्राप्त आय का निर्धारण एसआरएलएम/ एसएसडीएम के साथ निष्पादित सहमति ज्ञापन में निर्दिष्ट सहमत शर्तों के अनुसार किया गया.

इस प्रकार, नैबकॉन्स ने एमओआरडी/ एसआरएलएम से प्राप्य ऐसी आय का निर्धारण किया है, जो या तो स्वीकृत है अथवा देय है, लेकिन प्रशासनिक कारणों, धन की कमी आदि के कारण उसका भुगतान नहीं किया गया है.

इसके अतिरिक्त, नैबकॉन्स ने परियोजना मूल्यांकन एजेंसी का कार्य भी किया है. परियोजना मूल्यांकन से संबंधित आय का निर्धारण परियोजना कार्य के पूरा होने/ पीआईए से शुल्क की प्राप्ति के समय पर किया गया है. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु दीनदयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 को रोल-आउट करने की प्रक्रिया में है. कार्यक्रम का कार्यान्वयन दिनांक 31.03.2026 तक किया जाना है.

6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियाँ)

6.1 अचल आस्तियों को संचित मूल्यह्रास और क्षति के कारण होने वाली हानि, यदि कोई हो, को घटा कर, अधिग्रहण लागत पर दर्शाया गया है. आस्तियों की लागत में उनके अधिग्रहण और उन्हें स्थापित करने से संबंधित कर, शुल्क, भाड़े और अन्य प्रासंगिक व्यय शामिल हैं. विद्यमान आस्तियों पर बाद में किए गए व्यय को तभी पूंजीकृत किया गया है जब उससे, विद्यमान आस्तियों का भविष्यगत लाभ उनके पूर्व में आकलित कार्यनिष्पादन के स्तर से आगे बढ़ जाता है.

6.2 भूमि में पूर्ण स्वामित्व वाली और पट्टे पर ली गई भूमि शामिल है.

6.3 परिसर में भूमि का मूल्य शामिल है, जहाँ अलग-अलग मूल्य तत्काल उपलब्ध नहीं हैं.

6.4 पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और पट्टेवाली भूमि पर स्थित परिसर पर मूल्यह्रास की नीति में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान संशोधन किया गया है और मूल्यह्रास की गणना 30 वर्षों की अवधि के लिए सीधी रेखा पद्धति के आधार पर की गई है.

6.5 पट्टे पर ली गई भूमि पर अदा किए गए अपफ्रंट लीज प्रीमियम को लीज की अवधि में 5% की दर से प्रारंभिक अवलिखित मूल्य पर या लीज की शेष अवधि पर शेष लीज प्रीमियम की आनुपातिक राशि, जो भी अधिक हो, के अनुसार परिशोधित किया गया है.

6.6 ₹1 लाख और उससे कम लागत की प्रत्येक अचल आस्ति (आसानी से स्थानांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक आस्ति, जैसे - लैपटाप, मोबाइल फोन आदि को छोड़कर) को उसके अधिग्रहण वर्ष में लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है. आसानी से स्थानांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों, जैसे - लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि को तभी पूंजीकृत किया गया है जब प्रत्येक मद की लागत ₹10,000 से अधिक है. ₹1 लाख और उससे कम की लागत वाले और स्वतंत्र रूप से खरीदे गए प्रत्येक सॉफ्टवेयर को लाभ हानि खाते में लिया गया है.

6.7 धारक बैंक के मामलें में, अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति के आधार पर, आस्तियों की प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की गई अनुमानित उपयोगिता अवधि पर निम्नलिखित दरों से प्रभारित किया गया है:

आस्तियों का प्रकार	*मूल्यह्रास की दर*
फर्नीचर और फिक्सचर्स	20%
कम्प्यूटर और सॉफ्टवेयर	33.33%
कार्यालय उपकरण	20%
वाहन	20%

6.8 आस्तियों के मूल्यह्रास की गणना उस माह से की जाती है जिस माह से वर्ष के दौरान खरीदी गई आस्ति को पूंजीकृत किया जाता है. यह गणना उस माह तक की अवधि के लिए की जाती है जब तक उस आस्ति की बिक्री नहीं हो जाती.

6.9 चल रहे पूंजीगत कार्य में पूंजी अग्रिम शामिल हैं और उन्हें अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है.

6.10 सहायक संस्थाओं के मामले में अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास की गणना निम्नानुसार की गई है:

सहायक संस्था का नाम	*मूल्यह्रास की प्रणाली*
नैबकिसान	अनुसूची II के अनुसार अवलिखित मूल्य
नैबसमृद्धि	अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा पद्धति
नैबफिन्स	अनुसूची II के अनुसार अवलिखित मूल्य
नैबकॉन्स	अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा पद्धति
नैबवेंचर्स	अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा पद्धति और अवलिखित मूल्य
नैबफाउंडेशन	अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा पद्धति
नैबसंरक्षण	अनुसूची II के अनुसार अवलिखित मूल्य

7. निवेश

7.1 प्रतिभूतियों में लेनदेन "निपटान तिथि" पर दर्ज किए जाते हैं.

7.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को "व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)", "बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)" और "परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम)" श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है (जिन्हें आगे "श्रेणियाँ" कहा गया है).

7.3 जो प्रतिभूतियाँ मुख्यत: क्रय की तिथि से 90 दिन के भीतर फिर से बेचे जाने के लिए धारित होती हैं उन्हें "एचएफटी" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है उन्हें "एचटीएम" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. जिन प्रतिभूतियों को इन दोनों में से किसी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जाना है उन्हें "एएफएस" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है.

7.4 परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत जिन निवेशों की लागत अंकित मूल्य के समान या उससे कम है उन्हें अधिग्रहण की लागत पर रखा गया है. यदि लागत, अंकित मूल्य से अधिक है तो प्रीमियम को परिपक्वता के लिए शेष अवधि के लिए परिशोधित किया गया है. "एचटीएम" श्रेणी के अंतर्गत, सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़कर, की स्थिति में यथावश्यक प्रावधान किया गया है. यदि ऐसे निवेशों के मूल्य में कोई कमी आई है/ परिशोधन हुआ है तो इसके लिए किए गए प्रावधान को चालू देयताओं और प्रावधानों के तहत शामिल किया गया है.

7.5 "एचटीएम" के तहत वर्गीकृत निवेशों के मोचन पर प्राप्त लाभों को लाभ और हानि लेखा में दर्शाया गया है.

7.6 "एएफएस" के अंतर्गत निवेशों को 'भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ' (एफआईएमएमडीए) और फाइनैंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्रा.लि. द्वारा घोषित दर पर स्क्रिप-वार बाज़ार के लिए मार्क किया गया है. यदि कोई निवल मूल्यह्रास है, तो "एएफएस" के तहत वर्गीकृत श्रेणी में निवेश के लिए प्रावधान किया गया है और मूल्यवृद्धि को अनदेखा किया गया है. पुनर्मूल्यांकन के बाद अलग-अलग स्क्रिप के अंकित मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.

7.7 "एचएफटी" के अंतर्गत निवेशों को 'भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न संघ' (एफआईएमएमडीए) और फाइनैंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्रा.लि., एएमएफआई आदि द्वारा घोषित दर पर स्क्रिप-वार बाजार के लिए मार्क किया गया है. "एचएफटी" के रूप में वर्गीकृत निवेशों में यदि कोई निवल मूल्यह्रास है तो उसे दर्ज किया गया और उसमें मूल्यवृद्धि को अनदेखा किया गया है. पुनर्मूल्यांकन के बाद अलग-अलग स्क्रिप के अंकित मूल्यों में परिवर्तन किए गए हैं.

7.8 सहायक संस्थाओं/ संयुक्त उद्यमों और सहयोगी संस्थाओं में किए गए निवेशों को "परिपक्वता तक धारित"(एचएफटी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

7.9 ट्रेजरी बिलों, वाणिज्यिक पत्रों और जमा राशि प्रमाण-पत्रों का मूल्यांकन धारित लागत पर किया गया है.

7.10 जिन कंपनियों में निवेश किया गया है, यदि उन कंपनियों के नवीनतम लेखापरीक्षित खाते उपलब्ध हैं, तो उद्धृत न किए गए शेयरों का मूल्यांकन ब्रेक-अप मूल्य पर किया गया है या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार ₹1/- प्रति कंपनी की दर से किया गया है.

7.11 असूचीबद्ध इक्विटियों सहित निवेशों के संबंध में अधिग्रहण के समय अदा की गई ब्रोकरेज, कमीशन आदि की राशि को राजस्व के अंतर्गत प्रभारित किया गया है.

7.12 शेयर बाजार में खरीदी/ बेची गई इक्विटियों के अधिग्रहण/ बिक्री पर अदा की गई ब्रोकरेज राशि को पूंजीकृत किया गया है.

7.13 ऋण निवेश पर खंडित अवधि के लिए अदा किए गए/ प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/ आय माना गया है और लागत/ बिक्री की गणना में शामिल नहीं किया गया है.

7.14

क्र. सं.	*मौजूदा श्रेणी*	*प्रस्तावित श्रेणी*	*लेखांकन नीति*
1.	एएफएस/ एचटीएफ	एचटीएम	बही मूल्य या बाजार मूल्य, जो भी कम हो. ऐसे मामलों में जहाँ बाजार मूल्य बही मूल्य से कम है, उनमें प्रतिभूति के समक्ष धारण किए गए मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (जिसमें, आवश्यकता होने पर, अंतरण की तिथि पर किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित अतिरिक्त प्रावधान भी शामिल होगा) समायोजित कर बही मूल्य को बाजार मूल्य तक घटाया जाएगा और प्रतिभूति का अंतरण बाजार मूल्य पर किया जाएगा.
2.	एचटीएम	एएफएस/ एचएफटी	बही मूल्य/ परिशोधित लागत पर अंतरण. ऐसी प्रतिभूतियों का, अंतरण के फसलस्वरूप तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, और परिणामी मूल्यह्रास, यदि कोई हो, का प्रावधान किया जाएगा.
3.	एएफएस/ एचएफटी	एचएफटी/ एएफएस	बही मूल्य पर अंतरण. अंतरण की तिथि पर प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक नहीं है, और संचित मूल्यह्रास के लिए यदि कोई प्रावधान धारित किया गया हो, तो उसे एचएफटी प्रतिभूतियों के समक्ष मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों में अंतरित किया जाएगा और इसके विपरीत भी किया जा सकता है.

7.15 सरकारी प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन पर परिशोधन/ लाभ/ हानि को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

7.16 निवेशों के लेखांकन के लिए भारित औसत लागत पद्धति का पालन किया गया है.

7.17 उद्यम पूंजी निधियों में निवेश का लेखांकन संबंधित निधि द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति के अनुसार किया गया है.

7.18 भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप निवेश एनपीआई वर्गीकरण के लिए आय के उचित प्रावधान/ आय की अमान्यता के अधीन हैं. अनर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यह्रास/ प्रावधान अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों में मूल्यवृद्धि के समक्ष समायोजित नहीं किए जाते हैं.

यदि किसी इकाई द्वारा ली गई कोई ऋण सुविधा बैंक की लेखा-बहियों में एनपीए के रूप में दर्ज है, तो उस इकाई द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को भी एनपीआई और उसके विपरीत माना जाएगा.

प्रतिभूतियों, यानी, बॉण्डों, डिबेंचरों आदि के मामले में, जहाँ उधारकर्ताओं द्वारा ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया गया है, वहाँ वाईटीएम या आईआरएसी मानदंडों, इनमें से जो भी अधिक हो, के आधार पर प्रावधान किया गया है.

7.19 रेपो/ रिवर्स रेपो के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों की गणना संपार्श्विक युक्त उधार और उधार लेनदेन के रूप में की जाती है. तथापि, प्रतिभूतियों का अंतरण उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार सामान्य एकमुश्त बिक्री/ खरीद की जाती है और ऐसी प्रतिभूतियों को रेपो/ रिवर्स रेपो खातों और कॉन्ट्रा प्रविष्टियों के माध्यम से दर्शाया जाता है. परिपक्वता की तिथि को उपर्युक्त प्रविष्टियों का प्रत्यावर्तन कर दिया जाता है. लागत और राजस्व की गणना ब्याज व्यय/ आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में की जाती है.

7.20 हेजिंग प्रयोजनों के लिए व्युत्पन्न लेनदेन किए जाते हैं.

7.21 सहायक संस्थाओं के मामले में, कॉर्पोरेट बॉण्डों और सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर, बारह माह से अधिक की अवधि तक धारित निवेशों का मूल्यांकन, ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान, अस्थायी को छोड़कर, को घटाकर लागत मूल्य पर किया जाता है. कॉर्पोरेट बॉण्ड तथा सरकारी प्रतिभूतियाँ परिशोधित लागत पर धारण की जाती हैं. जो निवेश शीघ्र भुनाने योग्य हैं और जिन्हें बारह माह से कम की अवधि के लिए धारण किया जाना होता है, उन्हें लागत और उचित मूल्य में से जो भी कम हो, पर धारित किया जाता है और परिणामी गिरावट, यदि कोई हो, तो उसे लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है.

नैबसंरक्षण के मामले में, म्यूचुअल फंडों के विमोचन पर लाभ या हानि की गणना हेतु प्रथम-प्रविष्टि-प्रथम-निर्गम (एफआईएफओ) के आधार शामिल लागत पर विचार किया जाता है.

हेज स्वैप

हेज ब्याज वाली आस्ति या देयता के साथ ब्याज दर स्वैप को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है, उस आस्ति या देयता से जुड़े स्वैप को छोड़कर, जिसका वहन बाजार मूल्य पर या लागत से कम मूल्य पर किया गया हो. स्वैप की समाप्ति पर, स्वैप के शेष संविदागत समय या आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर लाभ और हानि का निर्धारण किया जाता है.

8. अग्रिम और उनके लिए प्रावधान

8.1 अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है. आवधिक समीक्षा के आधार पर और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रावधान के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुरूप पहचाने गए अग्रिमों के संबंध में मानक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किया गया है.

8.2 अग्रिमों की पुन: संरचना/ पुन:अनुसूचीकरण के मामले में, मूल करार के अनुसार भावी मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य तथा संशोधित करार के अनुसार भावी मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य के बीच के अंतर के लिए प्रावधान किया गया है.

8.3 अनर्जक अग्रिमों के समक्ष किए गए प्रावधानों को घटाकर अग्रिमों को दिखाया गया है.

8.4 निधियों से मंजूर किए गए ऋणों के संदर्भ में, अनर्जक ऋणों के लिए किए गए प्रावधान की राशि को लाभ-हानि लेखा में प्रभारित किया गया है.

8.5 भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए पर किए गए विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त, मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं. इन प्रावधानों को तुलन-पत्र की अनुसूची 8 में «वर्तमान देयताएँ और प्रावधान» शीर्ष के तहत दर्शाया गया है और निवल एनपीए की गणना करने के लिए इन पर विचार नहीं किया गया है.

9. विदेशी मुद्रा लेनदेन

इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में जारी लेखांकन मानक (एएस - 11) के अनुसार विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखांकन निम्नानुसार किया गया है:

9.1 आस्तियों और देयताओं का पुन:मूल्यांकन, रिपोर्टिंग की तिथि/ वर्ष के अंत में एफ़ईडीएआई/ एफ़बीआईएल द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा में किया गया है. विदेशी मुद्रा उधार के हेज किए गए भाग को संविदाकृत मूल्य पर उल्लिखित किया गया है और हेज किए गए उधार की देयता को वर्ष की समाप्ति पर विद्यमान विनिमय दर के अनुसार तुलन-पत्र में क्रॉन्ट्रा मद (तुलन-पत्र से इतर मद) के रूप में दर्शाया गया है.

9.2 हेज किए गए लेनदेन हेतु आय और व्यय मदों को निष्पादित हेज करारों के अनुसार संविदागत दरों पर परिवर्तित किया गया.

10. विदेशी विनिमय संविदाओं का लेखांकन

10.1 विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाएँ विदेशी मुद्रा उधारों की चुकौती को हेज करने के लिए की गई हैं.

10.2 हेज किए गए विदेशी मुद्रा उधारों का उल्लेख संविदागत दर पर किया गया है.

10.3 हेज न की गई विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन वर्ष के अंत/ रिपोर्टिंग की तिथि में एफ़ईडीएआई/ एफ़बीआईएल द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर किया गया है. पुन: मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अभिलाभ/ घाटे का निर्धारण लाभ और हानि खाते में 'वायदा विनिमय संविदा खाते के पुन:मूल्यांकन पर प्राप्त अभिलाभ/ घाटा' शीर्ष के अंतर्गत किया गया है.

11. कर्मचारी लाभ

भारतीय रिज़र्व बैंक से स्थानांतरित सभी कार्मिकों को बैंक का कर्मचारी माना गया है और तदनुसार कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान किए गए हैं. प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर दीर्घावधि कर्मचारी लाभों के लिए यथावश्यक रूप से बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है.

11.1 **अल्पावधि कर्मचारी लाभ:**

कर्मचारियों हेतु अल्पावधि लाभ, जिनका भुगतान कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में अपेक्षित है, की अबट्टाकृत राशि का निर्धारण उसी अवधि के लिए किया गया है जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवाएँ प्रदान की हैं.

11.2 **सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ**:

i) **परिभाषित अंशदान योजना**

बैंक ने उन सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) आरंभ की है जो 01 जनवरी 2012 को या उसके बाद बैंक की सेवा में आए हैं. बैंक ने पेंशन निधि विनियामक व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा तैयार की गई एक परिभाषित

अंशदान योजना "एनपीएस - कॉर्पोरेट सेक्टर मॉडल" को अपनाया है. निधि में अंशदान उपचय आधार पर किया जाता है.

ii) **परिभाषित लाभ योजना**

(क) बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान किया जाता है जो सभी पात्र कर्मचारियों के लिए अनुमानित इकाई ऋण पद्धति के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है. योजना के लिए निधि बैंक द्वारा प्रदान की जाती है और इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है. बीमांकिक लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि लेखा में उपचय आधार पर दर्शाया जाता है.

(ख) 31 दिसम्बर 2011 को या उससे पहले बैंक में कार्यग्रहण करने वाले सभी पात्र कर्मचारियों की पेंशन के लिए प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है. इस योजना के लिए बैंक निधि प्रदान करता है और इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है. बीमांकिक लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि लेखा में उपचय आधार पर दर्शाया जाता है.

iii) **अन्य दीर्घावधि लाभ**

बैंक के सभी पात्र कर्मचारी पारिश्रमिक के साथ अनुपस्थितियों के लिए पात्र हैं. बैंक के सभी पात्र कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभों के लिए भी पात्र हैं. अन्य दीर्घावधि लाभों की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर अनुमानित इकाई ऋण पद्धति से आकलित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है. बीमांकिक अभिलाभ या घाटे को लाभ और हानि लेखा में उपचय के आधार पर दर्शाया जाता है.

12. आय पर कर

12.1 चालू अवधि के लिए आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुरूप परिगणित कर-योग्य आय और कर जमाओं के साथ-साथ आकलनों/ अपीलों के संभावित परिणाम के आधार पर किया गया है.

12.2 आस्थगित कर की पहचान समयजन्य अंतर अर्थात् वर्ष के लिए कर-योग्य आय और लेखागत आय के बीच के अंतर के रूप में की गई है और इस राशि की गणना तुलन-पत्र की तिथि को लागू कर की दरों और अधिनियमित कानूनों के आधार पर की गई है.

12.3 अनवशोषित मूल्यह्रास/ व्यवसायगत हानियों से संबंधित आस्थगित आस्तियों की पहचान कर उन्हें उस सीमा तक आगे ले जाया गया है, जहाँ यह लगभग निश्चित हो जाए कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके समक्ष ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली की जा सकेगी.

12.4 निधियों से अर्जित कर योग्य आय पर अदा किए गए कर/ प्रावधान किए गए कर की गणना संबंधित निधियों के व्यय के रूप में की गई है.

13. खंड रिपोर्टिंग

13.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक के अनुपालन में बैंक व्यवसाय खंड को रिपोर्टिंग का प्राथमिक खंड मानता है.

13.2 खंड राजस्व में, खंड से सीधे संबंधित/ खंड को आबंटन योग्य ब्याज और अन्य आय शामिल हैं. जो आय संपूर्ण बैंक से संबंधित है और जिसे किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता उसे "अन्य आबंटित न की जा सकने योग्य बैंक आय" में शामिल किया गया है.

13.3 जो व्यय किसी खंड से सीधे संबंधित हैं/ किसी खंड को आबंटन-योग्य हैं, उनको खंड का परिणाम निर्धारित करने के लिए हिसाब में लिया गया है. ऐसे व्यय जिनका संबंध संपूर्ण बैंक से है और जिन्हें किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता, उनको "अन्य आबंटित न किए जा सकने योग्य व्यय" में शामिल किया गया है.

13.4 खंड आस्तियों और देयताओं में संबंधित खंड से सीधे जुड़ी आस्तियाँ और देयताएँ शामिल हैं. आबंटित न की जा सकने योग्य आस्तियों और देयताओं में वे आस्तियाँ और देयताएँ शामिल हैं जो संपूर्ण बैंक से संबंधित हैं और जिन्हें किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता.

14. आस्तियों की क्षतिग्रस्तता

14.1 प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि को आस्तियों की अंकित राशि की जांच क्षतिग्रस्तता के लिए की जाती है ताकि:

क) यदि क्षतिग्रस्तताजन्य कोई हानि हुई हो, तो उसके लिए आवश्यक प्रावधान किया जा सके; अथवा

ख) पिछली अवधियों में यथानिर्धारित क्षतिग्रस्तताजन्य हानि, यदि कोई हो, का प्रत्यावर्तन किया जा सके.

14.2 क्षतिग्रस्तताजन्य हानि तब मानी गई है जब किसी आस्ति की धारिता राशि उससे वसूली योग्य राशि से अधिक हो.

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ

15.1 प्रावधानों के लिए केवल उन्हीं देयताओं को मान्य किया गया है जिनका आकलन काफी हद तक अनुमानों का प्रयोग करते हुए किया जा सके, यदि:

क) किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप बैंक की कोई वर्तमान देयता हो.

ख) देयता के निस्तारण हेतु संसाधनों का बर्हिगमन संभावित हो; और

ग) देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो.

15.2 आकस्मिक देयता का निम्न मामलों में प्रकटन किया गया है:

क) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान देयता, जब इसकी संभावना न हो कि उस देयता को पूरा करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी,

ख) कोई वर्तमान देयता, जब विश्वसनीय अनुमान संभव न हो, और

ग) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान देयता, जहाँ संसाधनों के बर्हिगमन की संभावना नगण्य हो.

15.3 आकस्मिक आस्तियों को न तो निर्धारित किया गया है और न ही उन्हें प्रकट किया गया है.

15.4 प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों की समीक्षा की जाती है.

16. नकदी और नकदी समतुल्य

(क) नकदी प्रवाह विवरणियों के प्रयोजन के लिए नकदी और नकदी समतुल्यों में बैंकों में नकदी, हाथ में नकदी तथा अन्य अल्पावधि निवेश शामिल हैं.

(ख) नकदी प्रवाह विवरण की रिपोर्टिंग अप्रत्यक्ष पद्धति से की जाती है. उपलब्ध सूचना के आधार पर परिचालन, वित्तपोषण और निवेश गतिविधि से नकदी प्रवाह को अलग-अलग किया गया है.

17. पूर्व अवधि की आय/ व्यय

पूर्व अवधि प्रकृति की आय/ व्यय मदों को केवल तभी अलग से प्रकट किया गया है जब एकल पूर्व अवधि आय/ व्यय सकल आय के 0.5% से अधिक हो.

18. भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (भारतीय लेखांकन मानक)

एमसीए द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2016 को जारी प्रेस विज्ञप्ति सं. 11/10/2009 सीएल-वी के अनुसार बैंक को 01 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाली लेखा अवधि के लिए भारतीय लेखा मानकों पर आधारित वित्तीय विवरण तैयार करना अपेक्षित होता है तथा 31 मार्च 2018 को समाप्त और उसके बाद की अवधि के लिए तुलनात्मक विवरण अपेक्षित हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है.

आ. लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

1. नाबार्ड भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ अन्य निकायों की ओर से बैंकर/ अभिरक्षक/ न्यासी के रूप में कार्य कर रहा है और निम्नलिखित निधियों को, संबंधित योजनाओं के संदर्भ में उपयोग होने तक इन संस्थाओं की ओर से, उनके द्वारा किए गए अंशदान की सीमा तक और अप्रयुक्त शेष राशियों पर उपचित ब्याज सहित, जहाँ भी लागू हो, रखता है. अप्रयुक्त शेष राशि पर उपचित ब्याज को तत्संबंधी करारों के अनुसार प्रबंधन/ निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित निधियों में जमा किया गया है. संबंधित निधियों के लिए ब्याज दरों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	निधि का नाम	2024-25 के लिए ब्याज की दर	2023-24 के लिए ब्याज की दर
1.	वाटरशेड विकास निधि	3%	3%
2.	केएफ़डब्ल्यू - नाबार्ड आईजीडब्ल्यूडीपी (आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान)	0%	3%
3.	केएफ़डब्ल्यू सहबद्ध उपाय	0%	3%
4.	जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि	0%	3%
5.	जनजाति विकास निधि	3%	3%
6.	वित्तीय समावेशन निधि	3%	3%
7.	केएफ़डबल्यू-नाबार्ड-V आदिवासी विकास कार्यक्रम - गुजरात	0%	3%
8.	जलवायु परिवर्तन - (एएफ़बी) - परियोजना तैयारी अनुदान	3%	3%
9.	एलटीआईएफ़ ब्याज उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	3%	3%
10.	उत्पादक संगठन विकास निधि – ब्याज विभेदक	3%	3%
11.	जलवायु परिवर्तन निधि – ब्याज विभेदक	3%	3%
12.	जीसीएफ़ परियोजना अनुदान	3%	3%
13.	पशुधन विकास निधि (उत्तर प्रदेश और बिहार)	7.83%	7.29%
14.	गरीबी उन्मूलन के लिए बहु गतिविधि दृष्टिकोण (सुल्तानपुर और रायबरेली)	7.83%	7.29%
15.	सहकारी संस्थाओं में व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए केंद्र (सी-पैक)	7.83%	7.29%

2. भारत सरकार/ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों (तुलन-पत्र की अनुसूची-13 देखें) से वसूली योग्य राशि में ₹2.00 करोड़ (₹1.08 करोड़) की राशि शामिल है जो विभिन्न निधियों के नामे शेष की राशि है. इन निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	निधि का नाम	2024-25	2023-24
1.	केएफडब्ल्यू - मृदा परियोजना	0.92	0.00
2.	एनएएफ़सीसी	1.08	1.08
	कुल	**2.00**	**1.08**

3. भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, विभिन्न बैंकों द्वारा रखी गई ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि (आरआईडीएफ) जमाराशि, भंडारागार आधारभूत संरचना निधि (डब्ल्यूआईएफ) जमाराशि और खाद्य प्रसंस्करण निधि (एफपीएफ) के संबंध में बैंक द्वारा उपलब्ध सापेक्ष मार्जिन को वित्तीय समावेशन निधि और जलवायु परिवर्तन निधि - आईडी में 80:20 के अनुपात में जमा की जाती है.
4. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त/ प्राप्य ब्याज सहायता को अनुसूची 14 के अंतर्गत ब्याज और वित्तीय प्रभारों से समायोजित किया गया है. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत समायोजित ब्याज सहायता राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	योजना	2024-25	2023-24
1.	दीर्घावधि सिंचाई निधि	567.95	558.87
2.	मौसमी कृषि परिचालन (मौकृप)	140.96	(70.68)
3.	डेयरी आधारभूत संरचना विकास निधि (डीआईडीएफ़)	34.72	35.07
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	126.07	67.08
5.	सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ़)	87.68	73.62
6.	मत्स्यपालन और जलचरपालन आधारभूत संरचना विकास निधि (एफ़आईडीएफ़)	25.85	17.94

5. ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत मौसमी कृषि परिचालन हेतु प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और एनआरएलएम योजना के वित्तपोषण के लिए रास बैंकों, क्षेग्रा बैंकों और जिमस बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनर्वित्त संवितरण पर प्राप्त ब्याज मार्जिन की गणना ब्याज आय के रूप में की गई है.

भारत सरकार से इस योजना के अंतर्गत ₹115.09 करोड़ (₹122.26 करोड़) की राशि प्राप्त हुई/प्राप्य है.

6. बैंक ने लेखांकन मानक 22 "आय पर करों का लेखांकन" के अनुसरण में समय के अंतर पर आस्थगित कर आस्ति/ देयता को दर्शाया है. वर्ष के दौरान, बैंक ने लाभ और हानि खाते में ₹59.73 करोड़ (₹20.55 करोड़) के आस्थगित कर व्यय को दर्शाया है. दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार कुल आस्थगित कर आस्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	आस्थगित कर आस्तियाँ	2024-25	2023-24
1	भुगतान के आधार पर अनुमन्य प्रावधान	102.46	175.14
2	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	13.70	15.08
3	अन्य	32.50	18.17
	कुल	**148.66**	**208.39**

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष प्रारक्षित निधि के तहत आस्थगित कर के लिए प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि बैंक ने उक्त प्रारक्षित निधि को आहरित न करने का निर्णय लिया है.

चूँकि ऋण बही का आकार वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रहा है, इसलिए, भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप प्रत्येक वर्ष मानक आस्तियों पर प्रावधान करना आवश्यक होता है. अत:, लेखांकन मानक - 22 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, बैंक मानक आस्तियों पर प्रावधान के कारण आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता नहीं देता है, क्योंकि उनकी प्राप्ति की कोई उचित निश्चितता नहीं रहती है.

7. वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष लंबित आय कर अपीलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम. सं.	कर निर्धारण वर्ष	किस प्राधिकरण में अपील लंबित है	किसके द्वारा अपील की गई है	विवादित राशि (₹ करोड़) 31-03-2025 तक की स्थिति	विवादित राशि (₹ करोड़) 31-03-2024 तक की स्थिति
1.	2002-03	उच्च न्यायालय- मुंबई	आयकर विभाग	415.00	415.00
2.	2006-07	उच्च न्यायालय- मुंबई	आयकर विभाग	217.85	217.85
3.	2007-08	उच्च न्यायालय, मुंबई	आयकर विभाग	88.56	88.56
4.	2008-09	उच्च न्यायालय, मुंबई	आयकर विभाग	118.77	118.77
5.	2009-10	उच्च न्यायालय, मुंबई	आयकर विभाग	194.82	194.82
6.	2010-11	उच्च न्यायालय, मुंबई	नाबार्ड	28.20	28.20
7.	2010-11	उच्च न्यायालय, मुंबई	आयकर विभाग	215.32	215.32
8.	2011-12	उच्च न्यायालय, मुंबई	नाबार्ड	51.03	--
9.	2012-13	उच्च न्यायालय, मुंबई	नाबार्ड	45.63	--
10.	2013-14	उच्च न्यायालय, मुंबई	नाबार्ड	1.70	--
11.	2011-12	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	--	51.07
12.	2011-12	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	287.62
13.	2012-13	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	--	45.63
14.	2012-13	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	327.03
15.	2013-14	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	--	1.70
16.	2013-14	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	380.05
17.	2014-15	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	450.61
18.	2015-16	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	448.87
19.	2019-20	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	254.38
20.	2019-20	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	--	0.59
21.	2016-17	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	407.23	407.23
22.	2017-18	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	360.69	360.69
23.	2018-19	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	278.52	278.52
24.	2022-23	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	182.64	--

8. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि तथा पट्टाकृत भूमि और परिसर में कार्यालय परिसर और स्टाफ क्वार्टर्स के लिए ₹11.85 करोड़ (₹11.85 करोड़) की राशि का भुगतान शामिल है जिसका अंतरण किया जाना अभी बाकी है.

9. बैंक प्रबंधन के मतानुसार आस्तियों में कोई ऐसी क्षतिग्रस्तता नहीं है जिस पर लेखांकन मानक 28 - "आस्तियों में क्षतिग्रस्तता" लागू हो और जिसके लिए किसी प्रावधान की अपेक्षा हो.

10. भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसरण में, राज्य सहकारी बैंकों तथा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा जारी विशेष विकास डिबेंचरों (एसडीडी) की खरीद के माध्यम से इन एजेंसियों को प्रदत्त परियोजना ऋणों की निम्नानुसार गणना की गई है:

क) निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है और 'डिबेंचर और बॉण्ड' शीर्ष के अंतर्गत अनुसूची 10 में दर्शाया गया है'.

ख) एसडीडी पर अर्जित ब्याज लाभ हानि लेखा में 'ऋण एंव अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज' के भाग के रूप में दर्शाया गया है और उसे 'अनुमन्य अग्रिम' माना गया है.

ग) 'आईआरएसी मानदंड, पूंजी पर्याप्तता और अनुपातों की गणना इत्यादि के प्रयोजन से 'अनुमन्य अग्रिम'.

11. वित्तीय विवरणियों की तिथि की स्थिति के अनुसार, आरआईडीएफ की वर्तमान खेपों (XXVII से XXIX) के तहत विभिन्न राज्य सरकारों को संग्रहण अग्रिम के रूप में संवितरित राशि में से ₹633.71 करोड़ (₹407.85 करोड़) की राशि आरंभ न हो सकी परियोजनाओं से संबंधित है. संबंधित/अन्य परियोजनाओं के साथ राशि के समायोजन के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने तक इस राशि को निधि से संवितरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

12. दिनांक 18 फरवरी 2016 की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार नाबार्ड को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (15) (iv) (एच) के तहत ₹5,000 करोड़ की राशि के कर मुक्त बॉण्ड जारी करने की अनुमति दी गई थी. तदनुसार 10 वर्ष की अवधि में प्रतिदेय ₹1500 करोड़ प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए तथा 10 और 15 वर्ष की अवधि में प्रतिदेय ₹3,500 करोड़ पब्लिक इश्यू के माध्यम से जुटाए गए. ये कर मुक्त बॉण्ड, सुरक्षित, प्रतिदेय और गैर-परिवर्तनीय प्रकृति के हैं. ये बॉण्ड मुंबई में स्थित संपत्ति पर समरूप प्रभार के समक्ष सुरक्षित हैं और नाबार्ड की निर्दिष्ट बही ऋण पर पहला प्रभार हैं. चालू वर्ष के लिए इन बॉण्डों से संबंधित राजस्व के लिए प्रभारित ब्याज ₹365.07 करोड़ (₹365.41 करोड़) है.

डिबेंचर ट्रस्टी का विवरण निम्नानुसार है:

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड,
द रूबी, द्वितीय तल, एसडबल्यू,
29, सेनापति बापट मार्ग,
दादर पश्चिम, मुंबई- 400028
टेलीफोन: +91 22 6230 0451

13. उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) में निवेश के संदर्भ में विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 21 सितंबर 2023 जारी निदेशों (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए बेसल III पूंजी फ्रेमवर्क, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन संचालन और संसाधन जुटाने संबंधी मानदंडों पर विवेकपूर्ण विनियमन- निदेश, 2023) के अनुसार, वीसीएफ़ की इकाइयों में निवेश की गई ₹20.98 करोड़ (₹31.84 करोड़) की राशि को 3 वर्ष पूर्ण होने पर एचटीएम श्रेणी से एएफ़एस श्रेणी में अंतरित किया गया.

14. (क) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशों के अंतर्गत निम्नलिखित उधारों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के पास गिरवी प्रतिभूतियाँ शामिल हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	*अंकित मूल्य*	*बही मूल्य*
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (प्रतिभूतियाँ)	237.00 (237.00)	237.69 (237.69)
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (सीबीएलओ/ त्रिपक्षीय रेपो)	56100.51 (39131.28)	68247.12 (39250.46)
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (प्रतिभूतियाँ) डिफॉल्ट फंड	50.00 (50.00)	51.75 (51.75)
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (सीबीएलओ/ त्रिपक्षीय रेपो) - डिफॉल्ट फंड	50.00 (50.00)	51.75 (51.75)

(ख) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश में अंतर्दिवसीय सीमा के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति सुरक्षा के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास गिरवी रखी गई निम्नलिखित प्रतिभूतियाँ शामिल हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	*अंकित मूल्य*	*बही मूल्य*
अंतर्दिवसीय सीमा के लिए गिरवी (प्रतिभूतियाँ)	5168.17 (527.00)	5396.34 (545.54)

15. **मानक आस्तियों हेतु प्रावधान**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	*2024-25*	*2023-24*
वर्ष के दौरान मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान	241.97	378.37

16. **काउंटर साईक्लिकल प्रोविजनिंग बफर**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	*विवरण*	*2024-25*	*2023-24*
(क)	अस्थिर प्रावधान खाते में अथ शेष	2014.45	2014.45
(ख)	लेखा वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की प्रमात्रा #	0.00	0.00
(ग)	लेखा वर्ष के दौरान ड्रॉडाउन की राशि	0.00	0.00
(घ)	अस्थिर प्रावधान खाते में इति शेष	2014.45	2014.45

बैंक के निदेशक मण्डल ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अस्थिर प्रावधान सृजित करने का निर्णय लिया जिसका उपयोग अप्रत्याशित अथवा असाधारण परिस्थितियों में किया जा सके.

17. दिनांक 23 जून 2016 के भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय विवरण - प्रस्तुति, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग निदेश 2016) के अनुसरण में वित्तीय संस्थाओं द्वारा जो प्रकटीकरण दिए जाने आवश्यक हैं उन्हें इस समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रासंगिक नहीं माना गया है और इसलिए उन्हें नोट में शामिल नहीं किया गया है.

18. चार सहायक संस्थाओं के मामले में, मूल्यह्रास की गणना अवलिखित मूल्य विधि से की गई है और इसे सीधी रेखा विधि के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों में समायोजित नहीं किया गया है. समेकित वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है.
19. नैबफिन्स लिमिटेड के मामले में, भारतीय रिज़र्व बैंक की न्यायनिर्णयन समिति ने प्रतिबंधात्मक प्रथाओं से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है, विशेष रूप से ग्राहकों को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान विशिष्ट बीमा उत्पादों को चुनने के लिए मजबूर करने के लिए, जिसका आदेश 15 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था और इसका भुगतान 29 अप्रैल 2024 को कर दिया गया है.
20. कर्मचारियों को प्रदत्त छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) लाभ को तभी लेखाबद्ध किया जाता है जब कर्मचारियों द्वारा उसका लाभ उठाया जाता है.
21. वर्ष के दौरान, समूह ने नवंबर 2022 से प्रभावी वेतन समझौते के लिए अनुमानित आधार पर ₹349.99 करोड़ की राशि को लेखाबद्ध किया गया है. 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार वेतन निपटान के लिए समापन प्रावधान की बकाया राशि ₹669.32 करोड़ है.
22. लाभ और हानि लेखा में शामिल पूर्व अवधि मदें निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
1.	आय	0.00	0.00
2.	राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल	(0.00)	(0.00)

23. **लेखांकन मानक 18 - संबंधित पार्टी प्रकटीकरण**

चूँकि एएस -18 'संबंधित पार्टी प्रकटीकरण' के अर्थ में यह बैंक राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यम है, अत: अन्य राज्य नियंत्रित उद्यमों के (सहायक संस्थाओं सहित) साथ लेनदेन का विवरण नहीं दिया गया है.

23.1 **प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (नाबार्ड):**

पार्टी का नाम	पदनाम
श्री शाजी के वी	अध्यक्ष
श्री गोवर्धन सिंह रावत	उप प्रबंध निदेशक
डॉ. अजय के सूद	उप प्रबंध निदेशक

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (सहायक संस्थाएँ)

सहायक संस्था का नाम	पार्टी का नाम	पदनाम
नैबकॉन्स	श्री नीरज कुमार वर्मा	प्रबंध निदेशक
	डॉ. हरगोपाल यन्द्र	प्रबंध निदेशक
	श्रीमती नेहा चौधरी	कंपनी सचिव
नैबफिन्स	श्री ए जयशीलन	मुख्य वित्तीय अधिकारी
	श्री मोहन प्रसाद	मुख्य परिचालन अधिकारी
	श्रीमती पूजा आहूजा	कंपनी सचिव
नैब फाउंडेशन	श्री बिभु प्रसाद कर	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
	श्रीमती सुधा वर्गीस	मुख्य वित्तीय अधिकारी
	अदिति शुक्ल	कंपनी सचिव
नैबकिसान	श्री प्रसाद राव	प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी
	श्री जी इमैनुवेल	मुख्य वित्तीय अधिकारी
	श्रीमती एम भुवनेश्वरी	कंपनी सचिव
नैबसमृद्धि	श्रीमती बोनानी रॉयचौधरी	प्रबंध निदेशक
	श्री एलएस नवीनकुमार	मुख्य वित्तीय अधिकारी
	श्रीमती सुज़ेट पेरेरा	कंपनी सचिव
नैबसंरक्षण	श्री राहुल उप्पल	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
	श्री सुनंद कुमार साहू	कंपनी सचिव
नैबवेंचर्स	श्री विकास भट्ट	प्रबंध निदेशक
	श्रीमती दीप्ति हेलगांवकर	मुख्य वित्तीय अधिकारी
	श्री तुनु साहू	कंपनी सचिव

23.2 **संबंधित पक्षों के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन**

(राशि ₹ करोड़ में)

मदें/ संबंधित	मुख्य प्रबंधन कार्मिक@	मुख्य प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार	कुल
उधार#	-	-	-
जमाराशि#	-	-	-
जमाराशियों का स्थानन#	-	-	-
अग्रिम#			
निवेश#			
गैर-निधीकृत प्रतिबद्धताएँ#	-	-	-
पट्टेदारी की व्यवस्था का लाभ उठाया गया#	-	-	-
पट्टेदारी की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई#	-	-	-
अचल आस्तियों की खरीद#	-	-	-
अचल आस्तियों की बिक्री	-	-	-
चुकाया गया ब्याज	-	-	-
प्राप्त हुआ ब्याज	-	-	-

मदें/ संबंधित	मुख्य प्रबंधन कार्मिक@	मुख्य प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार	कुल
सेवाओं का प्रतिपादन*	-	-	-
सेवाएँ की प्राप्ति*	-	-	-
प्रबंधन संविदाएं**	11.12 (10.46)		11.12 (10.46)

@ बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक

वर्ष के अंत में बकाया और वर्ष के दौरान अधिकतम का प्रकटन किया जाना है.

* संविदा सेवाएँ इत्यादि और विप्रेषण सुविधाएँ, लॉकर सुविधाएँ आदि जैसी सेवाएँ नहीं

** मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक

24. **व्यवसाय खंड के विषय में सूचना**

(क) **संक्षिप्त पृष्ठभूमि**

बैंक के मान्यताप्राप्त प्राथमिक व्यवसाय खंड निम्नानुसार हैं:

i) प्रत्यक्ष वित्तपोषण: इसमें ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों को दिए गए ऋण, सह-वित्तपोषण ऋण और स्वैच्छिक एजेंसियों/ गैर सरकारी संगठनों को विकास गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण तथा जिमस बैंकों आदि को दिए गए अन्य प्रत्यक्ष ऋण शामिल हैं.

ii) पुनर्वित्त: इसमें राज्य सरकारों, सार्वजनक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों, लघु वित्त बैंकों, विदेशी बैंकों, रासकृग्रावि बैंकों, रास बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आदि द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं को दिए गए ऋणों के समक्ष पुनर्वित्त के रूप में दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं.

iii) ट्रेजरी: इसमें टी-बिलों, अल्पावधि जमाराशियों, सरकारी प्रतिभूतियों, आदि में निधियों का निवेश शामिल है.

iv) उपर्युक्त तीन प्राथमिक खंडों के अलावा अन्य खंड 'अन्य व्यवसाय' खंड के अंतर्गत हैं. प्रत्यक्ष आय और प्रत्यक्ष व्यय के आधार पर तीन प्राथमिक खंडों के परिणामों का पता लगाने के बाद, आबंटन के लिए/ देनदारियों/ आस्तियों सहित शेष राशि को «अन्य व्यवसाय» के तहत समूहीकृत किया गया है.

(ख) प्राथमिक व्यवसाय खंड संबंधी सूचना

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	ट्रेजरी		पुनर्वित्त		प्रत्यक्ष ऋण		अन्य व्यवसाय		कुल	
व्यवसाय खंड	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
राजस्व	7649.52	5341.75	28911.04	24528.07	22404.11	19450.56	326.92	295.04	59291.59	49615.42
परिणाम	1450.30	618.77	3571.30	4439.17	8129.71	6504.07	(2714.80)	(3129.09)	10436.51	8432.92
अनाबंटित व्यय									0.00	0.00
परिचालन लाभ									10436.51	8432.92
आय पर कर									2594.93	2061.68
असाधारण लाभ/हानि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल लाभ									**7841.58**	**6371.24**
अन्य सूचनाएँ										
खंड आस्तियाँ	139343.11	101692.90	453289.86	430623.59	392465.48	370389.62	1272.07	9581.25	986370.53	912287.35
खंड देयताएँ	150328.53	110712.29	351850.09	341185.02	391249.65	374674.25	90167.93	82922.63	983596.20	909494.19
अनाबंटित आस्तियाँ									148.66	208.40
कुल आस्तियाँ									**986519.19**	**912495.75**
अनाबंटित देयताएँ									2922.99	3001.56
कुल देयताएँ									**986519.19**	**912495.75**

नोटः अनाबंटित आस्तियों से आशय आस्थगित कर आस्ति से है और अनाबंटित देयताओं से आशय आयकर के लिए प्रावधान से है.

(ग) चूँकि बैंक के परिचालन केवल भारत तक सीमित हैं, अतः रिपोर्ट करने योग्य कोई भी द्वितीयक खण्ड नहीं है.

25. कोष्ठक में दिए गए आँकड़े पिछले वर्ष के हैं.
26. जहाँ भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनःसमूहन/पुनःव्यवस्थापन किया गया है.

इसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते सुरेश सुराणा एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 121750W/W100010

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

रमेश गुप्ता साझेदार सदस्यता संख्या: 102306	विनोद चंद्रशेखरन मुख्य महाप्रबंधक लेखा विभाग

मुंबई
दिनांक: 27 मई 2025

डॉ. अजय कुमार सूद उप प्रबंध निदेशक	गोवर्धन सिंह रावत उप प्रबंध निदेशक	शाजी के वी अध्यक्ष

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

राशि ₹ करोड़ में	*2024-25*	*2023-24*
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लाभ और हानि खाते के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ	10,436.51	8,432.92
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
मूल्यह्रास और परिशोधन	62.70	52.69
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	153.61	(59.86)
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	241.98	378.38
निवेश खाते के मूल्य में ह्रास - इक्विटी	(8.50)	14.78
अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ/ (हानि)	(1.11)	(1.74)
विभिन्न निधियों में जमा ब्याज (ब्याज विभेदक निधि में परिवर्धन/ समायोजन सहित)	188.99	188.68
उधारराशियों और जमाराशियों पर ब्याज व्यय	44,890.91	36,940.39
निवेश से आय (डिस्काउंट से आय सहित)	(7,642.18)	(5,290.17)
बॉण्डों के निर्गमन पर डिस्काउंट/ प्रीमियम का परिशोधन	41.93	25.03
परिचालन आस्तियों में परिवर्तन के पहले का परिचालन लाभ	48,364.84	40,681.10
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन:		
चालू आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी	(8,451.28)	(16,199.75)
चालू देयताओं में वृद्धि/ (कमी)	(520.82)	(23.20)
ऋणों और अग्रिमों में (वृद्धि)/ कमी (स्टाफ को आवास ऋण और अन्य अग्रिमों सहित)	(44,239.49)	(64,302.78)
परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी	(4,846.75)	(39,844.63)
आय कर का भुगतान - रीफंड को घटाकर	(2,613.76)	(2,187.64)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (अ)	(7,460.51)	(42,032.27)
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
निवेश से आय (डिस्काउंट आय सहित)	7,642.18	5,290.17
अचल आस्तियों की खरीद	(77.64)	(76.49)
अचल आस्तियों की बिक्री	2.81	4.36
निवेश में वृद्धि/ कमी	(22,024.88)	(21,521.68)
निवेश गतिविधियों में प्रयोग की गई/ सृजित निवल नकदी (आ)	(14,457.53)	(16,303.64)
(ग) वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्राप्त अनुदान/ अंशदान	(1,045.19)	192.60
बॉण्डों से प्राप्त राशि	41,231.50	39,506.45
उधारराशियों में वृद्धि/ (कमी)	56,652.15	29,932.02
जमाराशियों में वृद्धि/ (कमी)	(25,966.62)	23,857.20
उधारराशियों और जमाराशियों पर भुगतान किया गया ब्याज	(42,876.77)	(34,780.38)
शेयर पूँजी में वृद्धि	-	-
वर्ष के दौरान भुगतान किया गया लाभांश	(6.61)	(7.22)
वित्तपोषण गतिविधियों से जुटाई गई निवल नकदी (इ)	27,988.46	58,700.67
नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि (अ)+(आ)+(इ)	6,070.42	364.76

राशि ₹ करोड़ में	*2024-25*	*2023-24*
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	8,696.10	8,331.34
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	**14,766.52**	**8,696.10**

1. वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष राशियों में निम्नलिखित शामिल हैं:	2024-25	2023-24
हाथ में रोकड़	-	-
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशियाँ	6,568.72	3,561.58
भारत में अन्य बैंकों के पास शेष राशियाँ	4,547.80	3,834.52
बैंकों के पास अल्पावधि जमाराशियाँ (3 माह और उससे कम की परिपक्वता वाली)	3,650.00	1,300.00
कुल	**14,766.52**	**8,696.10**

नोट्स:

1. नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि से तैयार किया गया है.
2. समेकित नकदी प्रवाह विवरण सहायक संस्थाओं के आई-जीएएपी वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है.

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

कृते सुरेश सुराणा एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 121750W/W100010

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

रमेश गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.: 102306

विनोद चन्द्रशेखरन
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग

मुंबई
दिनांक: 27 मई 2025

डॉ. अजय कुमार सूद
उप प्रबंध निदेशक

गोवर्धन सिंह रावत
उप प्रबंध निदेशक

शाजी के. वी.
अध्यक्ष